वर्ष 12 • अंक 260 • 12 पृष्ठ
• मूल्य 5 रुपये

गुरुवार 19 दिसंबर 2019

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

पृष्ठ 4

107 फीसदी रह सकता है राजकोषीय घाटा

सुनील भारती मित्तल पृष्ठ 3

निवेश बरकरार रखेगी एयरटेल

डॉलर रु. 71.00 (अपरिवर्तित) | यूरो रु. 79.00 ▼ 20 पैसे | सोना (10ग्राम) रु 37959 (अपरिवर्तित) | सेंसेक्स 41558.60 ▲ 206.40 | निफ्टी 12221.70 ▲ 56.70 | निफ्टी फ्यूचर्स 12243.20 ▲ 21.50 | ब्रेंट क्रूड 67.70 डॉलर ▲ 0.20 डॉलर

एक नज़र

संशोधित नागरिकता कानून पर 22 जनवरी को सुनवाई

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को संशोधित नागरिकता कानून की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करने का निश्चय किया लेकिन उसने इस कानून के क्रियान्वयन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। संशोधित नागरिकता कानून में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत के पीठ ने इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कांग्रेस के नेता जयराम रमेश और आईयूएमएल की याचिकाओं सहित 59 याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया। पीठ इस मामले में अब अगले साल 22 जनवरी को सुनवाई करेगा। पृष्ठ 12

फिएट-क्राइसलर और प्यूजो में करार को मंजूरी

फिएट क्राइसलर ऑटोमोबाइल्स और पीएसए प्यूजो के निदेशक मंडल ने अपनी कंपनियों का विलय कर नई कंपनी बनाने का पक्का करार करने की बुधवार को घोषणा की। नई कंपनी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वाहन विनिर्माता कंपनी होगी। दोनों कंपनियों ने संयुक्त बयान में कहा कि नई कंपनी की अगुआई पीएसए के मुख्य कार्याधिकारी कार्लो टेवरेस करेंगे जबकि फिएट क्राइसलर के चेयरमैन जॉन एल्कॉन उसके चेयरमैन होंगे। फिएट क्राइसलर के मुख्य कार्याधिकारी माइक मैनले कंपनी में रहेंगे लेकिन अभी उनके पद की घोषणा नहीं हुई है।

आपूर्ति बढ़ाने के लिए 8.47 लाख टन दलहन बाजार में

सरकार ने बुधवार को कहा कि बाजार में दलहन की आपूर्ति बढ़ाने और इसकी कीमतें नियंत्रित रखने के लिए सुरक्षित भंडार से 8.47 लाख टन आपूर्ति करेगी। सरकार ने कहा कि वह घरेलू बाजार में उपलब्धता बनाए रखने और कीमतें स्थिर रखने के लिए वह राज्यों को बाजार मूल्य पर खाद्यान्न बेचेगी। देश के प्रमुख शहरों में दलहन का भाव इस समय 60 से 95 रुपये प्रति किलोग्राम चल रहा है। उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय मूल्य स्थिरीकरण प्रणाली के तहत केंद्र सरकार के लिए दलहन का भंडार रखता है।

आम्रपाली पर 10 दिनों में तय करे एसबीआईकैप वेंचर्स

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि दिवालिया हो चुकी आम्रपाली समूह की अधूरी परियोजना पूरी करने के लिए आवश्यक वित्त पोषण पर एसबीआईकैप वेंचर्स लिमिटेड को 10 दिनों में निर्णय लेने का निर्देश दिया। एसबीआईकैप वेंचर्स सरकार प्रायोजित स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल ऐंड मिड-इनकम हाउसिंग फंड का प्रबंधन करती है।

कोछड़ मामले में रिजर्व बैंक ने किया बचाव

भारतीय रिजर्व बैंक ने चंदा कोछड़ की याचिका पर अपने जवाब में कहा है कि नियामक की ओर से निलंबन की मंजूरी न्यायिक अधिकार क्षेत्र के तहत, उचित और बेहतरी के लिए थी और यह फैसला आईसीआईसीआई बैंक के अनुरोध पर उचित विचार के बाद किया गया था। कोछड़ ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि उनके निलंबन को नियामक की मंजूरी अवैध थी। शीर्ष बैंक ने कहा कि इस तरह के अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए रिजर्व बैंक का यह काम नहीं है कि वह बैंक के इस तरह के मामले में हस्तक्षेप करे। पृष्ठ 4

व्यापार गोष्ठी

सहकारी बैंकों की व्यवस्था कैसे हो दुरुस्त?

अपनी राय पासपोर्ट साइज फोटो और पूरे पते के साथ हमें इस पते पर भेजें :

बिज़नेस स्टैंडर्ड , नेहरू हाउस, 4 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002 फैक्स नंबर - 011-23720201
या फिर ई-मेल करें goshthi@bsmail.in
अपने विचार आप हमें bshindi.com पर भी भेज सकते हैं

आज का सवाल

क्या एनसीएलएटी के आदेश से टाटा समूह की फर्मों पर पड़ेगा असर

www.bshindi.com पर राय भेजें।
आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **BSP Y** और यदि न है तो **BSP N** लिखकर **57007** पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

क्या अग्रिम कर संग्रह में नरमी से कर संग्रह लक्ष्य से चूकेगी सरकार?	हां	71.43%
	नहीं	28.57%

पंचाट के आदेश से बॉम्बे हाउस में खलबली

- **पंचाट ने साइरस मिस्त्री को टाटा समूह का चेयरमैन बहाल करने का दिया आदेश**
- **रतन टाटा को समूह के कामकाज में हस्तक्षेप न करने का दिया निर्देश**
- **टाटा संस ने कहा, समुचित कानूनी कदम उठाएंगे**

रुचिका चित्रवंशी और देव चटर्जी
नई दिल्ली, 18 दिसंबर

राष्ट्रीय कंपनी लॉ अपील पंचाट (एनसीएलएटी) के फैसले से टाटा समूह को बड़ा झटका लगा है। एनसीएलएटी ने आज साइरस मिस्त्री को टाटा संस का कार्यकारी चेयरमैन बहाल करने का आदेश दिया और रतन टाटा तथा अन्य के द्वारा टाटा संस के पूर्व चेयरमैन के खिलाफ उठाए गए कदम को गैर-कानूनी करार दिया।

दो जजों के पीठ ने कहा कि मिस्त्री को अचानक और हड़बड़ी में बिना कोई कारण बताए पद से हटा दिया गया और इस बारे में 24 अक्टूबर, 2016 की बोर्ड बैठक में भी कोई चर्चा नहीं की गई थी। पीठ ने कहा कि टाटा संस के बोर्ड द्वारा अक्टूबर 2016 में मिस्त्री को हटाए जाने का प्रस्ताव और उन्हें टाटा समूह की कंपनियों के निदेशक पद से हटाने का कदम अवैध था।

एनसीएलएटी ने यह भी कहा कि रतन टाटा और टाटा ट्रस्ट्स के नामित को ऐसे किसी भी निर्णय से बचना चाहिए जिसके लिए निदेशक मंडल का बहुमत जरूरी होता है या सालाना आम बैठक में प्रस्ताव पर मंजूरी लेनी होती है।

एनसीएलएटी के आदेश के बाद टाटा संस के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया, 'सभी जरूरी कानूनी कदम उठाए जाएंगे।' अक्टूबर 2016 में चकित करने वाले कदम के तहत मिस्त्री को टाटा संस के बोर्ड तथा समूह से हटा दिया गया था और बोर्ड द्वारा रतन टाटा को टाटा संस का अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया गया था।

मिस्त्री ने कहा, 'आज का फैसला मेरी व्यक्तिगत जीत नहीं है बल्कि यह अच्छा कारोबारी संचालन के सिद्धांतों और अल्पांश शेयरधारकों के अधिकारों की जीत है।' उन्होंने कहा, '50 साल से भी अधिक समय से मिस्त्री परिवार टाटा संस का महत्त्वपूर्ण अल्पांश शेयरधारक रहा है और हमेशा से ही देश के गौरवशाली संस्थान में जिम्मेदार अभिभावक की भूमिका अदा की है।'

न्यायाधीश एस जे मुखोपाध्याय की अगुआई वाले पीठ ने कहा कि निदेशक मंडल के पास निर्णय लेने का अधिकार होने के बावजूद टाटा समूह की कई कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि उनके द्वारा लिए गए निर्णय पक्षपात पूर्ण थे।

एनसीएलएटी ने टाटा संस के मौजूदा चेयरमैन एन चंद्रशेखरन की नियुक्ति को भी अवैध करार दिया। चंद्रा को फरवरी 2017 में टाटा संस का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। अदालत ने मिस्त्री को चेयरमैन पद पर बहाल करने के लिए चार हफ्ते का वक्त दिया है।

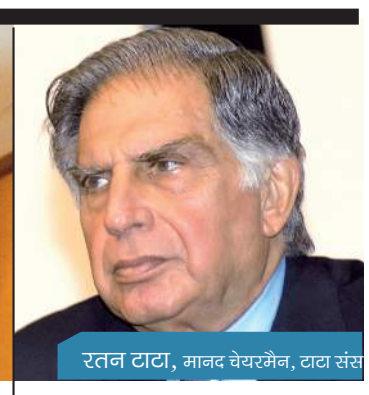

यह आदेश मेरी व्यक्तिगत जीत नहीं, बल्कि सुशासन के सिद्धांतों और अल्पांश शेयरधारकों के अधिकारों की जीत है।
साइरस मिस्त्री
पूर्व चेयरमैन, टाटा संस

रतन टाटा, मानद चेयरमैन, टाटा संस

यह स्पष्ट नहीं है कि एनसीएलएटी ने किस तरह से टाटा संस के शेयरधारकों के निर्णय को दरकिनार किया.... हम उचित कानूनी कदम उठाएंगे।
टाटा संस का बयान

कारोबार संचालन को लेकर चिंता

अपील पंचाट ने कहा कि टाटा संस लिमिटेड को पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में बदलने का निर्णय भी गैर-कानूनी था और यह अल्पांश शेयरधारकों और जमाकर्ताओं के हितों के खिलाफ था। पंचाट ने कंपनी पंजीयक को इस बारे में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया है। (शेष पृष्ठ 2 पर)

टाटा संस की फर्मों के शेयरों में बना रहेगा दबाव

विश्लेषकों का कहना है कि नैशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल के फैसले से समूह की कंपनियों के शेयरों में उतार-चढ़ाव दिखेगा और लघु से मध्यम अवधि में इस मुद्दे के स्पष्ट होने तक दबाव बरकरार रहेगा। बुधवार को कारोबारी के अंतिम समय में यह खबर आई, जिसका असर समूह की कंपनियों के शेयर पर भी दिखा। 7 महीने की ऊंचाई को छूने वाला टाटा मोटर्स का शेयर 3 फीसदी की गिरावट पर बंद हुआ। टाटा ग्लोबल बेवरिजेस का शेयर 3.52 फीसदी लुढ़ककर और टाटा केमिकल्स का शेयर 1.53 फीसदी फिसलकर बंद हुए। पृष्ठ 2

दबाव में टाटा समूह की वित्तीय स्थिति

साइरस को टाटा संस के चेयरमैन के तौर पर बहाल किए जाने के निर्णय से समूह स्तर पर और समूह अन्य कंपनियों में नेतृत्व शून्य की स्थिति पैदा हो गई है। शीर्ष स्तर पर नेतृत्व में फेरबदल ऐसे समय में किया जा रहा है जब समूह की प्रमुख परिचालन कंपनियों को मौजूदा आर्थिक मंदी की वजह से लगभग तीन दशक में अपने सबसे भयंकर वित्तीय संकट में से एक का सामना करना पड़ रहा है। कई मायने में समूह या तो वित्त वर्ष 2015 या वित्त वर्ष 1990-91 की तुलना में सबसे बुरी वित्तीय स्थिति से जूझ रहा है। पृष्ठ 2

टाटा-मिस्त्री मामलाः कब, क्या हुआ

10 अक्टूबर, 2016
टाटा संस के बोर्ड ने साइरस मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटाया, रतन टाटा बने अंतरिम चेयरमैन

20 फरवरी, 2017
टीसीएस के मुख्य कार्याधिकारी एन चंद्रशेखरन बने टाटा समूह के चेयरमैन

15 सितंबर, 2017
टाटा संस ने शेयरधारकों से खुद को प्राइवेट कंपनी में बदलने के लिए सहमति मांगी, मिस्त्री ने किया इसका विरोध

9 जुलाई, 2018
एनसीएलटी मुंबई ने मिस्त्री की याचिका को खारिज किया और टाटा संस के पक्ष में फैसला सुनाया। मिस्त्री ने टाटा संस पर कुप्रबंधन और अल्पांश शेयरधारकों के अधिकारियों का हनन करने का लगाया आरोप

3 अगस्त, 2018
मिस्त्री ने एनसीएलटी के आदेश को एनसीएलएटी में दी चुनौती, टाटा संस के बोर्ड में नियुक्ति की लगाई गुहार

एक व्यक्ति के प्रतिशोध का नतीजा : वाडिया

देव चटर्जी
मुंबई,
18 दिसंबर

वाडिया समूह के चेयरमैन नुस्ली वाडिया साइरस मिस्त्री को टाटा संस के चेयरमैन पद पर बहाल करने के आदेश का स्वागत किया और कहा कि केवल एक व्यक्ति के प्रतिशोध की वजह से मिस्त्री को हटाया गया था। उन्होंने कहा, 'इस आदेश ने साबित कर दिया कि साइरस को हटाना एक व्यक्ति की दुर्भावना और प्रतिशोध कार्रवाई थी। मैं इकलौता स्वंतत्र निदेशक था जिसने साइरस पर भरोसा किया और अनुचित बर्खास्तगी का विरोध किया।' मिस्त्री को हटाए जाने के बाद वाडिया को भी टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और टाटा केमिकल्स के स्वतंत्र निदेशक पद से हटा दिया गया।

75 वर्षीय वाडिया ने अपने जीवन में कई कारोबारी लड़ाइयां लड़ी हैं और इनमें से सबसे चर्चित टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन दिवंगत जेआरडी टाटा के साथ थी। इस मामले में वह जेआरडी के बाद टाटा समूह की कमान संभालना चाहते थे। हालांकि बाद में वाडिया ने रतन टाटा के पक्ष में अपने कदम पीछे खींच लिए। रतन टाटा ने उन्हें वाइस चेयरमैन पद की पेशकश की लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया।

रतन टाटा और वाडिया के बीच मतभेद उस समय पैदा हुए जब वाडिया ने टाटा स्टील द्वारा कोरस स्टील का अधिग्रहण करने पर नाखुशी जताई थी और घाटे वाली नैनो परियोजना में निवेश का विरोध किया था।

1 जनवरी से लॉटरी पर 28 प्रतिशत कर

दिलाशा सेठ और इंदिवजल धस्माना
नई दिल्ली, 18 दिसंबर

- **फिलहाल लॉटरियों पर 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत दरें होती हैं लागू**
- **औद्योगिक पार्क को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक भूखंडों पर दीर्घ अवधि के पट्टे को छूट**
- **केरल नहीं था सभी तरह की लॉटरियों पर समान दर के पक्ष में**

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने बुधवार को लॉटरी पर 28 प्रतिशत की दर से कर लगाने का निर्णय लिया है। यह कर 1 जनवरी 2020 से लागू होगा। लॉटरी पर जीएसटी के लिए मतदान का सहारा लिया गया। यह पहला मौका है जब दर पर निर्णय लेने के लिए मतदान कराया गया है। परिषद की बैठक में विवादित मुद्दे लॉटरी पर जीएसटी दर तय करने के लिए मतदान के आधार पर निर्णय लिए गए। सभी तरह की लॉटरियों पर एक समान 28 प्रतिशत दर लगाने के प्रस्ताव के पक्ष में निर्णय गया। इस कदम से केरल के प्रस्ताव के लिए आंशिक नुकसान था।

इस समय लॉटरियों पर दो तरह की दरें लागू होती हैं। राज्य संचालित लॉटरियों पर 12 प्रतिशत और राज्य से अनुमति प्राप्त लौटरियों पर सर्वाधिक 28 प्रतिशत जीएसटी लगता है। जून 2017 में जीएसटी लागू होने से पहले जीएसटी परिषद की 17वीं बैठक में इस विषय पर चर्चा हुई थी और इसके बाद राज्य संचालित और राज्य अधिकृत लॉटरियों पर दो दरें रखने का फैसला हुआ था। उसी साल जुलाई में जीएसटी व्यवस्था लागू हुई थी। बाद में अधिकारियों को लगा कि दरों में अंतर का बेजा इस्तेमाल हो रहा है और वास्तव में ज्यादातर लॉटरियों पर 12 प्रतिशत दर से कर लग रहा था। दरों में अंतर अधिक रहने से छोटे कारोबारी कर अनुपालन भी नहीं कर रहे थे।

ऐसे भी मामले दिखे थे, जिनमें लॉटरियां राज्य के नाम पर संचालित की जा रही थीं, लेकिन असल में वे निजी लॉटरियां हुआ करती थीं। केंद्र सरकार के अधिकारियों के अनुसार दो तरह की लॉटरियों में 16 प्रतिशत अंतर रहने से बड़े राज्य छोटे ग्राहकों का उत्पीड़न करते थे। इसके बाद सभी तरह की लॉटरियों पर एकसमान दर तय करने का प्रस्ताव दिया गया था। हालांकि केरल इस प्रस्ताव के खिलाफ था। केरल राज्य संचालित लॉटरियों पर दर बढ़ाने या निजी लॉटरी पर दर घटाए जाने के पक्ष में था। ऐसी आशंका जताई गई कि दर समान होने से राज्य में हजारों लॉटरी एजेंट और विक्रेता प्रभावित होंगे, साथ ही राज्य एवं केंद्र के राजस्व पर भी नकारात्मक असर होगा।

इन्फोसिस ने अमेरिका में कर मामला निपटाया

देवाशिष महापात्र
बेंगलूरु, 18 दिसंबर

- **मामला निपटाने के लिए 8 लाख डॉलर का भुगतान करने पर सहमत हुई कंपनी**
- **कंपनी पर आरोप था कि पेरोल करों से बचने के लिए कर्मचारी एच-1बी वीजा की जगह बी-1 वीजा पर कर रहे थे काम**

आईटी कंपनी इन्फोसिस ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में कुछ कर्मचारियों के पेरोल करों का भुगतान नहीं किए जाने के मामले का निपटारा करने के लिए 8 लाख डॉलर (करीब 5.6 करोड़ रुपये) का भुगतान करने पर सहमत हो गई है।

कंपनी ने कहा कि इन्फोसिस ने अपने ऊपर लगे आरोपों की कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल की जांच का निपटारा करने के लिए 8 लाख डॉलर का भुगतान करेगी। आरोपों में कहा गया था कि 2006 में कंपनी के कुछ कर्मचारियों ने बी-1 वीजा पर यात्रा की थी और राज्य के पेरोल करों का भुगतान नहीं किया था।

कंपनी ने कहा, 'इस समझौते से मामला रद्द हो जाएगा और समय, खर्च तथा कानूनी दांव-पेच से भी बचा सकेगा।' कानूनी भाषा में समझौते को दोष स्वीकार करना नहीं माना जाता है। जिस मामले में समझौता किया गया है वह 2006 का है जब इन्फोसिस के करीब 500 कर्मचारी कैलिफोर्निया में बी-1 वीजा पर काम कर रहे थे। व्हिसलब्लोअर और इन्फोसिस के पूर्व कर्मचारी जैक 'जय' पामर ने आरोप लगाया था कि एच1-बी वीजा के बजाय बी-1 वीजा के तहत कर्मचारियों का वर्गीकरण कर कैलिफोर्निया के कानून के अनुसार बेरोजगारी बीमा, नि:शक्तता बीमा सहित पेरोल करों का भुगतान नहीं किया गया।

कैलिफोर्निया अटॉर्नी जनरल जेवियर बेसेरा ने कहा, 'समझौते से अटॉर्नी जनरल के दावों का समाधान हो गया जिसमें कहा गया था कि इन्फोसिस ने कैलिफोर्निया के कानून का उल्लंघन किया था।'

इन्फोसिस शुरू से ही इन आरोपों से इनकार करती रही है। कंपनी का कहना है कि उसकी नीति अच्छी है और सभी नियमों का पालन सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। वर्ष 2017 में भी इन्फोसिस ने न्यूयॉर्क में 10 लाख डॉलर का भुगतान कर वीजा उल्लंघन के एक मामले की जांच का निपटारा किया था।

आईयूसी से कंपनियों को बहुत लाभ नहीं

सुरजीत दास गुप्ता
नई दिल्ली, 18 दिसंबर

- **आईयूसी व्यवस्था की मियाद बढ़ने से नई दूरसंचार कंपनियों को मिल सकता है लाभ**
- **प्रतिस्पर्द्धी कंपनियों के नेटवर्क पर संपर्क साधने पर देना पड़ता है 6 पैसे प्रति मिनट शुल्क**

इंटरकनेक्ट यूजेज चार्ज (आईयूसी) व्यवस्था की अवधि एक वर्ष और बढ़ाने का निर्णय मौजूदा दूरसंचार कंपनियों के लिए बहुत फायदे का सौदा नहीं दिख रहा है। हालांकि भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण (ट्राई) के इस निर्णय से नई दूरसंचार कंपनियों को जरूर लाभ मिल सकता है। नवंबर के अंत में दूसरी दूरसंचार कंपनियों के साथ कुल हुए कॉल में जियो के इनकमिंग ऑफ-नेट कॉल (दूसरे नेटवर्क से जियो पर किए गए कॉल) की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक दर्ज की गई। नवंबर में ट्राई द्वारा बुलाई एक बैठक में जियो ने कहा था कि उसके ऑफ-नेट इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल के बीच समानता आ गई है और पहले दिख रहा अंतर खत्म हो गया है।

जब किसी दूरसंचार कंपनी के ग्राहक किसी दूसरी दूरसंचार कंपनी के ग्राहक को कॉल करता तो पहली कंपनी दूसरी कंपनी को 6 पैसा प्रति मिनट की दर से शुल्क देती है। यह व्यवस्था इंटरकनेक्ट प्रणाली के तौर पर जानी जाती है। ट्राई ने पहले कहा था कि यह व्यवस्था 31 दिसंबर 2019 को समाप्त हो जाएगी, लेकिन बाद में इसकी अवधि बढ़ाने पर संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे गए थे। रिलायंस जियो आईयूसी की बढ़ाने के पक्ष में नहीं थी जबकि दूसरी कंपनियां इसकी अवधि बढ़ाने की मांग कर रही थीं।

सूत्रों ने कहा कि अब यह अंतर समाप्त हो गया है और अब उसके नेटवर्क पर ऑफ-नेट इनकमिंग कॉल की संख्या दूसरी कंपनियों के नेटवर्क पर किए गए कॉल के मुकाबले अधिक होगी। उन्होंने कहा कि मध्य दिसंबर तक कुल कॉल में इनकमिंग कॉल की तादाद 52 प्रतिशत तक थी। कंपनी ने कहा कि इस वजह से उसे पिछली तिमाही की तरह दूसरे नेटवर्क पर किए कॉल के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान नहीं करना होगा। कंपनी के अनुसार दिसंबर तिमाही में यह रकम मामूली रहेगी। ट्राई की गणना के अनुसार प्रतिस्पर्द्धी कंपनियों के साथ हुए जियो के हुए कॉल में इसके नेटवर्क पर दूसरे नेटवर्क से आने वाली कॉल की तादाद 35.75 प्रतिशत रही थी। जियो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'सामान्य परिस्थितियों में दूरसंचार कंपनियों के लिए प्रत्येक महीने इनकमिंग कॉल में 1 प्रतिशत वृद्धि होती है। हालांकि जब जियो ने दूसरे नेटवर्क पर कॉल करने के लिए अपने उपभोक्ताओं से प्रति मिनट 6 पैसे शुल्क लेने की घोषणा की तो चीजें बदल गईं।' हालांकि दूरसंचार कंपनियों का कहना है कि आईयूसी की अवधि बढ़ना अब भी उनके लिए फायदेमंद है। सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक राजन मैथ्यू कहते हैं, 'अगर आईयूसी व्यवस्था खत्म की जाती है तो मौजूदा कंपनियों का राजस्व कम होगा, क्योंकि टर्मिनेशन फीस को राजस्व ही समझा जाता जाता है।'

खबरों में रहे स्टॉक

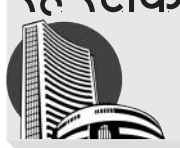

प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स

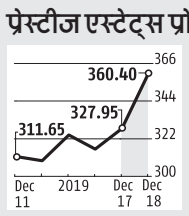

तरजीही आवंटन के जरिये रकम जुटाने को मंजूरी

₹ 327.95 पिछला बंद भाव
₹ 360.40 आज का बंद भाव
▲ 9.89 %

केआरबीएल

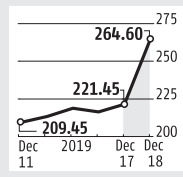

प्रवर्तकों ने खुले बाजार से खरीदे शेयर

₹ 221.45 पिछला बंद भाव
₹ 264.60 आज का बंद भाव
▲ 19.49 %

टाटा ग्लोबल बेवरिजेस

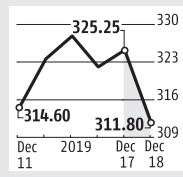

एनसीएलएटी ने साइरस मिस्त्री को टाटा संस का चेयरमैन बहाल किया

₹ 325.25 पिछला बंद भाव
₹ 311.80 आज का बंद भाव
▼ 4.14 %

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

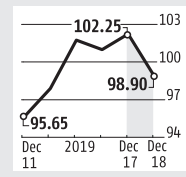

वित्त वर्ष 2019 में 5,250 करोड़ रुपये के डूबते ऋण का खुलासा

₹ 102.25 पिछला बंद भाव
₹ 98.90 आज का बंद भाव
▼ 3.28 %

हिंदुस्तान यूनिलीवर

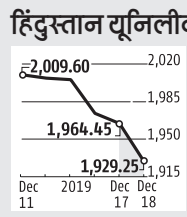

भारतीय बाजार में चिंता के मद्देनजर यूनिलीवर ने घटाया बिक्री अनुमान

₹ 1,964.45 पिछला बंद भाव
₹ 1,929.25 आज का बंद भाव
▼ 1.79 %

पंचाट के आदेश से बॉम्बे हाउस में हड़कंप

पृष्ठ 1 का शेष...

एन चंद्रशेखरन को चेयरमैन नियुक्त करने के बाद टाटा संस ने सितंबर 2018 में कंपनी को प्राइवेट कंपनी में बदलने के लिए शेयरधारकों से मंजूरी मांगी थी, जो अल्पांश शेयरधारकों के अपने शेयरों को बेचने के अधिकार को कम करता है।

एनसीएलएटी ने टाटा समूह को निर्देश दिया कि कार्यकारी चेयरमैन, स्वतंत्र निदेशकों और निदेशकों की नियुक्ति के लिए भविष्य में वह अल्पांश शेयरधारक शापूरजी पलोनजी समूह के साथ परामर्श कर सभी शेयरधारकों के हितों की रक्षा करे।पंचाट ने कंपनी के हित और स्वस्थ माहौल के लिए एक कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त करने का भी सुझाव दिया, जिस पर दोनों पक्षों का भरोसा हो। इससे दोनों समूहों के बीच अविश्वास को खत्म करने में मदद मिलेगी। समूह ने भी अपने बयान में स्वीकार किया था कि इससे वैश्विक स्तर पर प्रभाव पड़ा है।

टाटा संस ने 10 नवंबर, 2016 को अपने बयान में कहा था, 'कुछ लोगों ने इस निर्णय पर चिंता जताई है, वहीं कई ने भविष्य में समूह और इसकी कंपनियों तथा परिचालन को लेकर सवाल उठाए हैं।' अपील पंचाट राष्ट्रीय कंपनी लॉ पंचाट द्वारा पहले के आदेश को भी दरकिनार कर दिया और उसे अनुचित तथा परिहार्य बताया। पीठ ने कहा कि पंचाट ने साइरस मिस्त्री और अन्य याचियों के खिलाफ कई टिप्पणियां की जिससे बचा जाना चाहिए था क्योंकि इससे उनकी प्रतिष्ठा और उनके कारोबार तथा लंबित सुनवाई पर असर पड़ सकता है।

टाटा समूह: माली हालत अच्छी नहीं

वित्त वर्ष 2015 और 1990-91 की तुलना में टाटा समूह की वित्तीय हालत बेहद खराब

कृष्ण कांत
मुंबई, 18 दिसंबर

साइरस मिस्त्री को टाटा संस के चेयरमैन के तौर पर बहाल किए जाने के राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील प्राधिकरण (एनसीएलएटी) के निर्णय से समूह स्तर पर और समूह की मुख्य परिचालन कंपनियों में नेतृत्व शून्य की स्थिति पैदा हो गई है। शीर्ष स्तर पर नेतृत्व में फेरबदल ऐसे समय में किया जा रहा है जब समूह की प्रमुख परिचालन कंपनियों को मौजूदा आर्थिक मंदी की वजह से लगभग तीन दशक में अपने सबसे भयंकर वित्तीय संकट में से एक का सामना करना पड़ रहा है।

कई मायने में, समूह या तो वित्त वर्ष 2015 (साइरस मिस्त्री के नेतृत्व में आखिरी वर्ष) या वित्त वर्ष 1990-91 (जब भारतीय अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता के बाद से अपने सबसे बड़े आर्थिक संकट के मध्य में थी) की तुलना में सबसे बुरी वित्तीय स्थिति से जूझ रहा है।

टाटा की सूचीबद्ध कंपनियों ने वित्त वर्ष 2019 में 7 प्रतिशत का आरओई (पूंजी पर प्रतिफल) दर्ज किया, जो वित्त वर्ष 2015 में 18.3 प्रतिशत और 1990-91 के दौरान 17.9 प्रतिशत था। वित्त वर्ष 2015 में आरओई कमजोर पड़कर वित्त वर्ष 1990-91 के 17.5 प्रतिशत से घटकर 15 प्रतिशत और पिछले वित्त वर्ष में 9.1 प्रतिशत रह गया था।

हालांकि समूह के अधिकारियों का कहना है कि इसकी दो श्रेष्ठ प्रदर्शकों के बगैर प्रदर्शन के बारे में विचार करना उचित नहीं होगा। एक अधिकारी ने नाम नहीं बताने के अनुरोध के साथ कहा, 'टीसीएस और टाइटन डायवर्सिफाइड औद्योगिक घराने की अभिन्न हिस्सा हैं और समूह की वित्तीय स्थिति और उसके प्रदर्शन को उसकी संपूर्णता के तौर पर देखा जाना चाहिए।'

उनका कहना है कि बेहद डायवर्सिफाइड समूह होने की वजह से सभी कंपनियां और उद्योग हर समय अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं।

यह विश्लेषण संबद्ध वित्त वर्ष के लिए टाटा समूह की सभी सूचीबद्ध कंपनियों के सालाना लेखा समेकित वित्तीय आंकड़ों पर आधारित है। उदाहरण के लिए, वित्त वर्ष 2019 के नमूने में 33 कंपनियां शामिल की गईं, जिनमें से कई को समूह तब से बेच चुका है। ऐसी कंपनियों में एसीसी, गुडलास नैरोलैक, मेरिंड, टोमको और लैक्मे (जो बाद में ट्रेंट बन गई) शामिल हैं।

टीसीएस और टाइटन को छोड़कर, समूह कंपनियों का संयुक्त बाजार पूंजीकरण अब उनके बहीखाते पर दर्ज सकल ऋण की तुलना में कम है। उदाहरण के लिए, समूह की सूचीबद्ध कंपनियों (टीसीएस और टाइटन को छोड़कर) का संयुक्त बाजार पूंजीकरण 2.91 लाख करोड़ रुपये के संयुक्त सकल ऋण की तुलना में वित्त वर्ष 2019 के अंत में 2.4 लाख करोड़ रुपये था।

टाटा समूह की सेहत

- टाटा समूह की सूचीबद्ध कंपनियों ने वित्त वर्ष 2015 में 18.3 प्रतिशत और 1990-91 के 17.9 प्रतिशत की तुलना में वित्त वर्ष 2019 में 7 प्रतिशत का आरओई दर्ज किया
- टीसीएस और टाइटन को छोड़कर, समूह कंपनियों का संयुक्त बाजार पूंजीकरण अब उनके बहीखाते पर दर्ज सकल ऋण की तुलना में कम

अच्छे प्रशासन की हुई जीत: साइरस मिस्त्री

देव चटर्जी
मुंबई, 18 नवंबर

टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री ने एनसीएलएटी के आज के आदेश का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इससे अच्छे प्रशासन और अल्पांश शेयरधारकों के अधिकारों की जीत हुई है। टाटा समूह के साथ विवाद के कारण 51 वर्षीय मिस्त्री को बॉम्बे हाउस से बेवजह बाहर कर दिया गया था। तभी से मिस्त्री लगातार कह रहे थे कि वह परिवार की प्रतिष्ठा को बहाल करना चाहते हैं। टाटा संस में मिस्त्री परिवार की हिस्सेदारी 18.5 फीसदी है जबकि शेष हिस्सेदारी टाटा ट्रस्ट्स और टाटा समूह की कंपनियों के पास है।

एनसीएलएटी के फैसले के बाद मिस्त्री ने कहा कि यह फैसला उनके लिए कोई व्यक्तिगत जीत नहीं है बल्कि इससे अच्छे प्रशासन के सिद्धांतों और अल्पांश शेयरधारकों के अधिकारों की जीत हुई है। उन्होंने कहा, 'मिस्त्री परिवार 50 साल से अधिक समय से टाटा संस का एक प्रमुख अल्पांश शेयरधारक रहा है और उसने हमेशा एक संस्थान के जिम्मेदार गार्जियन की भूमिका निभाई है जिस पर पूरे देश को गर्व है।'

मिस्त्री ने कहा, 'इस अपील का परिणाम मेरे पक्ष का प्रमाण है जब टाटा संस के तत्कालीन बोर्ड ने मुझे बिना कोई चेतावनी दिए अथवा कारण बताए पहले तो कार्यकारी चेयरमैन पद से और उसके बाद टाटा संस के निदेशक पद से हटा दिया था।' 24 अक्टूबर को मिस्त्री की टीम ए को भी भंग कर दिया गया था और समूह के कार्यकारी परिषद के सभी सदस्यों को टाटा समूह के अधिकारियों द्वारा हटने का आदेश दिया गया था।

मिस्त्री ने कहा, 'कार्यकारी चेयरमैन के तौर पर मेरी कोशिश एक संस्कृति स्थापित करने और प्रभावी बोर्ड प्रशासन सुनिश्चित करने की थी ताकि हितधारकों के लिए दीर्घावधि मूल्य, सतत मुनाफा एवं वृद्धि सृजित की जा सके।'

अभी दबाव में रहेंगे टाटा समूह के शेयर

पुनीत वाधवा और ऐश्ली कुटिन्हो
नई दिल्ली, 18 दिसंबर

नैशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री को समूह के चेयरमैन के तौर पर दोबारा बहाल किया है। विश्लेषकों का कहना है कि इससे संबंधित शेयरों में उतार-चढ़ाव दिखेगा और लघु से मध्यम अवधि में इस मुद्दे के स्पष्ट होने तक दबाव बरकरार रहेगा।

एनसीएलएटी ने टाटा संस के मौजूदा चेयरमैन एन चंद्रशेखरन की नियुक्ति को भी 'अवैध' करार दिया है। फरवरी 2017 में चेयरमैन पद पर उनकी नियुक्ति हुई थी। अपील ट्रिब्यूनल ने इस आदेश को लागू करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।

आज के कारोबारी सत्र के अंतिम समय में यह खबर आई और टाटा समूह के अधिकतर शेयरों पर उसका असर देखा गया। उदाहरण के लिए, टाटा मोटर्स का शेयर आज दिन भर के कारोबार के दौरान करीब 7 महीने की ऊंचाई को छू गया और 3 फीसदी की गिरावट के बाद बंद हुआ। टाटा ग्लोबल बेवरिजेस का शेयर 3.52 फीसदी लुढ़ककर और टाटा केमिकल्स का शेयर 1.53 फीसदी फिसलकर बंद हुए।

इक्विनॉमिक्स रिसर्च के संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक जी चोकालिंगम ने कहा, 'एनसीएलएटी का निर्णय अचंभित करने वाला है और निकट भविष्य में वह शेयरों को प्रभावित करेगा। इसलिए लंबी अवधि में उथल-पुथल से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि समूह की हरेक कंपनी का प्रबंधन ढांचा और परिचालन माहौल अलग है। टीसीएस, टाटा ग्लोबल बेवरिजेस और टाइटन दमदार हैं लेकिन टाटा स्टील और टाटा मोटर्स को उनके वैश्विक परिचालन के कारण चुनौतियों से लगातार जूझना पड़ रहा है।'

कैलेंडर वर्ष 2019 के दौरान स्टॉक एक्सचेंज पर टाटा समूह के अधिकतर शेयरों का प्रदर्शन अब तक कमजोर रहा है। जबकि एसऐंडपी बीएसई सेंसेक्स में इस साल अब तक करीब 15 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई है। टाटा ग्लोबल बेवरिजेस, ट्रेंट, टाइटन और वोल्टास का प्रदर्शन बेंचमार्क सूचकांक से बेहतर रहा और उनमें 18 से 42 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई।

मंदी के बावजूद सालाना 20,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य

निवेश बरकरार रखेगी एयरटेल

मेघा मनचंदा
नई दिल्ली, 18 दिसंबर

आर्थिक मंदी के बावजूद भारतीय एयरटेल अपने कारोबार में सालाना 20,000 करोड़ रुपये का निवेश करने के लक्ष्य को जारी रखेगी। कंपनी के अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल ने यह जानकारी दी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से दो घंटे चली मुलाकात के बाद मित्तल ने कहा, 'हम दूरसंचार कारोबार में प्रत्येक वर्ष 20,000 करोड़ रुपये का निवेश करते हैं और अभी भी इसे जारी रखेंगे।'

वाणिज्य मंत्री से अपनी मुलाकात के बारे में मित्तल ने बताया, उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की और भारती समूह की निवेश योजनाओं को कारगर बनाने के लिए जल्द मंजूरी हेतु सरकारी समर्थन की मांग की। मित्तल ने कहा, 'हमने अपने समूह संबंधी सभी विषयों पर चर्चा की जिसमें बुनियादी ढांचा क्षेत्र, दूरसंचार, टावर कारोबार, सौर ऊर्जा और रियल एस्टेट प्रमुख रहे।'

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा इंटरकनेक्ट यूजेज चार्ज (आईयूसी) के लिए एक साल का विस्तार देने के मामले पर मित्तल ने कहा कि यह हमारी (उद्योग की) मांग थी और हमें खुशी है कि उन्होंने उद्योग के अनुरोध पर ध्यान दिया।

ट्राई ने मंगलवार को मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं द्वारा दूसरे नेटवर्क पर की गई कॉल के लिए दिए जाने वाले शुल्क को एक साल के लिए टाल दिया और कॉल एवं डेटा के लिए न्यूनतम कीमत तय करने के लिए बातचीत शुरू की। ट्राई ने घोषणा की कि दूरसंचार सेवा प्रदाता 31 दिसंबर 2020 तक दूसरे सेवा प्रदाता के नेटवर्क पर की जाने प्रत्येक आउटगोइंग कॉल के लिए 6 पैसे प्रति मिनट का भुगतान करना जारी रखेंगे। 1 जनवरी 2021 से इस शुल्क को शून्य किया जाना प्रस्तावित है।

भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने कॉल तथा डेटा के लिए न्यूनतम कीमतें तय करने के लिए सरकार से मांग की थी। मंगलवार को ट्राई ने मोबाइल फोन कॉल और डेटा के लिए न्यूनतम दरें तय करने के लिए एक परामर्श पत्र भी जारी किया। यह एक ऐसा कदम है जो मुफ्त कॉलिंग तथा सस्ते डेटा के खेल को प्रभावी तौर पर समाप्त कर देगा।

मित्तल ने कहा, 'उन्हें उद्योग में सकारात्मक माहौल लाना होगा..... हम इस कदम से खुश हैं।'

फिलहाल फोन कॉल और डेटा कीमतें विनियमित नहीं हैं और इन्हें अपने हिसाब से तय किया जाता है। हालांकि निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने मोबाइल इंटरनेट की न्यूनतम कीमतें तय करने के लिए सर्वसम्मति से ट्राई से संपर्क किया था।

दूरसंचार उद्योग की ओर से मित्तल ने कहा कि उन्होंने 37,000 करोड़ रुपये के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) रिफंड का अनुरोध किया है। एयरटेल को एजीआर के मामले पर भी उच्चतम न्यायालय से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। उच्चतम न्यायालय ने 24 अक्टूबर को केंद्र सरकार को भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया तथा रिलायंस जियो सहित दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से कुल 92,641 करोड़ रुपये के एजीआर वसूलने की अनुमति दी थी। ब्याज और दंड को मिलाकर दूरसंचार कंपनियों का कुल एजीआर लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपये है।

शीर्ष अदालत ने दूरसंचार कंपनियों को तीन महीने के भीतर या जनवरी के अंत तक पिछले बकाया चुकाने का आदेश दिया था। कंपनियां इस बकाया पर ब्याज और दंड से छूट चाहती हैं। उन्होंने न्यायालय द्वारा तीन महीने की समय सीमा को भी बढ़ाने की मांग की है। करीब चार लाख करोड़ रुपये के कर्ज वाले दूरसंचार उद्योग ने इस चिंता से निपटने के लिए सरकारी हस्तक्षेप की मांग की है। भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया दोनों ने कहा है कि सरकार को इस क्षेत्र को कुछ राहत प्रदान करनी चाहिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 नवंबर को कर्ज से ग्रसित दूरसंचार कंपनियों को 42,000 करोड़ रुपये का आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की थी।

निवेश का लक्ष्य

- एयरटेल को एजीआर के मामले पर भी उच्चतम न्यायालय से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है
- ट्राई ने आईयूसी मामले पर दिया एक साल का समय
- भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने कॉल तथा डेटा के लिए न्यूनतम कीमतें तय करने के लिए सरकार से की मांग

इंडिया रीसर्जेंस फंड में निवेश करेगा सीपीपीआईबी

अभिजित लेले
मुंबई, 18 दिसंबर

कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड (सीपीपीआईबी) संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए खरीद प्लेटफॉर्म द इंडिया रीसर्जेंस फंड (इंडिया आरएफ) में 22.5 करोड़ डॉलर का निवेश करेगा। सीसीपीआईबी अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक इकाई सीपीपीआईबी क्रेडिट इन्वेस्टमेंट्स इंक के जरिये पीरामल एंटरप्राइजेज और बेन कैपिटल क्रेडिट द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित इस फंड में निवेश करेगा।

इंडिया रीसर्जेंस फंड संकटग्रस्त परिसंपत्तियों में निवेश उसके मौजूदा ऋण एवं इक्विटी प्रतिभूतियों की खरीदारी के जरिये करता है। यह निवेश दिवालिया अदालतों के जरिये अथवा सीधे तौर पर लेनदारों से खरीदारी के जरिये किया जाता है। इस फंड के पास नई प्रतिभूतियों के जरिये भी निवेश का विकल्प होता है। साथ ही इन परिसंपत्तियों में पुनर्पूंजीकरण एवं परिचालन में सुधार के जरिये नियंत्रण हासिल करता है।

सीपीपीआईबी के वरिष्ठ प्रबंध निदेशक और वैश्विक प्रमुख (क्रेडिट इन्वेस्टमेंट्स) जॉन ग्राहम ने कहा कि इंडिया रीसर्जेंस फंड में निवेश से भारत में क्रेडिट प्रतिबद्धताओं में वृद्धि और भारत के संकटग्रसत ऋण क्षेत्र में जोखिम समायोजित आकर्षक रिटर्न का पता चलता है।

सीपीपीआईबी ने एक बयान में कहा कि एक मजबूत स्थानीय ऑपरेटर के साथ साझेदारी और एक भरोसेमंद विदेशी साझेदार की सक्रियता से हमें भारतीय बाजार में लंबी अवधि के लिए निवेश बढ़ाने में मदद मिलेगी। इंडिया रीसर्जेंस फंड ने इससे पहले इंटरनैशनल फाइनैंस कॉरपोरेशन (आईएफसी) से उसके संकटग्रस्त परिसंपत्ति सुधार कार्यक्रम के तहत ऋण हासिल किया था। आईएफसी इस फंड के प्रमुख निवेशक की भूमिका में है।

बैंक ऑफ बड़ौदा के एनपीए में अंतर

अभिजित लेले
मुंबई, 18 दिसंबर

सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) ने वित्त वर्ष 2019 में फंसे कर्ज में लगभग 5,250 करोड़ रुपये अंतर दर्ज किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा किए गए आकलन के अनुसार वित्त वर्ष 2019 के लिए सकल गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए) 75,174 करोड़ रुपये पर दर्ज की गईं। वहीं बीओबी द्वारा बीएसई को दी गई जानकारी में कहा गया है कि बैंक ने वर्ष 2018-19 के लिए 69,924 करोड़ रुपये का जीएनपीए दर्ज किया था। इस तरह से आरबीआई और बीओबी के एनपीए आकलन में 5,250 करोड़ रुपये का अंतर है।

दर्ज किए गए सभी आंकड़े विलय के बाद गठित बैंक के लिए हैं, जिसमें विजया बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विलय किया गया था। एक्सचेंज पर बीओबी का शेयर 3.3 प्रतिशत तक गिरकर 98.9 रुपये पर बंद हुआ।

- बैंक का शेयर बीएसई पर कारोबार के अंत में 3.3 प्रतिशत गिर गया
- हाल के महीनों में बैंकों द्वारा कम एनपीए दर्ज किए जाने के कई मामले आए हैं

23,795 करोड़ रुपये के आंकड़े के खुलासे की तुलना में आरबीआई द्वारा वित्त वर्ष 2019 के लिए आकलित शुद्ध एनपीए 29,045 करोड़ रुपये पर था।

बीओबी द्वारा दर्ज प्रावधान लगभग 46,001 करोड़ रुपये रहा, जबकि बैंकिंग नियामक के आकलन के अनुसार यह वित्त वर्ष 2019 के लिए 50,091 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2019 के लिए अतिरिक्त प्रावधान का बोझ 4,090 करोड़ रुपये पर अनुमानित है।

एक्सचेंज को भेजी जानकारी में बैंक ने कहा है कि एनपीए के लिए प्रावधान में 4,090 करोड़ रुपये के अंतर में, चालू वित्त वर्ष के दौरान 1,475 करोड़ रुपये का प्रावधान बैंक पहले ही कर चुका था। इसलिए शेष रकम 2,615 करोड़ रुपये है।

प्रावधान में अंतर को देखते हुए वित्त वर्ष 2019 में बैंक के लिए समायोजित शुद्ध नुकसान 10,998 करोड़ रुपये पर दर्ज किया गया। वित्त वर्ष 2019 के लिए दर्ज कुल नुकसान 8,339 करोड़ रुपये था।

हाल के महीनों में बैंकों द्वारा कम एनपीए दर्ज किए जाने के कई मामले आए हैं, जिससे आरबीआई द्वारा नियामकीय कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ा है। बैंकिंग नियामक ने बैंकों से एनपीए में अंतर और तय समय-सीमा से ऊपर प्रावधान का जल्द से जल्द खुलासा करने को कहा है।

बीएस बातचीत

इन्फ्रा खर्च बढ़ने से राजकोषीय घाटे पर पड़ेगा दबाव

मजबूत तरलता मौजूदा आर्थिक मंदी से मुकाबले के लिए जरूरी है। इस बारे में तर्क पेश करते हुए भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के अध्यक्ष **विक्रम किर्लोस्कर** ने **शुभायन चक्रवर्ती** के साथ बातचीत में कहा कि इक्विटी पर करों में कटौती की जानी चाहिए। पेश हैं उनसे हुई बातचीत के मुख्य अंश:

उद्योगों ने राजकोषीय प्रोत्साहन पर दांव लगाया है। क्या आप इस पर सहमत हैं?
हमने सरकार को बताया है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर पर अधिक खर्च किए जाने से राजकोषीय घाटे में कुछ वृद्धि हो सकती है। मैं चाहूंगा कि बजट घाटा नियंत्रित हो, लेकिन अब हमें मांग में सुधार लाने के लिए खर्च बढ़ाने की जरूरत है। हमें एक साल बाद इस राह पर वापस लौटने की जरूरत है।

क्या इसे लेकर वाकई आशंका है कि यदि राजकोषीय घाटा बढ़ता है तो रेटिंग एजेंसियां हमारी सॉवरिन रेटिंग में कमी कर सकती हैं?
मेरा मानना है कि हमें अब भारत में अधिक मांग पैदा करने के लिए ज्यादा प्रयासरत रहना चाहिए।

सरकार के लिए सीआईआई का 100-दिन का एजेंडा निचले वर्ग के लिए आयकर दर में कटौती का सुझाव था। क्या आप मानते हैं कि मौजूदा आयकर स्लैब समान बने रहने चाहिए?
सरकार के साथ अपने बजट-पूर्व परामर्श में हमने आयकर के बजाय लाभांश कर और पूंजीगत लाभ कर पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया है। मेरा मानना है कि कॉरपोरेट कर में कटौती के बाद, हम भारत में विदेशी कंपनियों द्वारा निवेश की खबरें सुनना शुरू करेंगे। हम भारत या थाईलैंड या इंडोनेशिया में निवेश के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे और स्वयं को इस दौड़ से पीछे महसूस कर रहे थे। लेकिन इसी तरह का प्रयास एकमात्र स्वामित्व और भागीदारियों के लिए भी होना चाहिए।

इक्विटी पर विभिन्न करों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
हालांकि सरकार ने कॉरपोरेट कर में कटौती की है, लेकिन हम अभी अभी इक्विटी पर कर घटाए जाने की मांग कर रहे हैं। आप कर्ज के साथ अर्थव्यवस्था का विकास नहीं कर सकते। हमारी अर्थव्यवस्था में पहले से ही बड़ा कर्ज है। दूसरी तरफ, इक्विटी पर ऊंची दर पर कर लागू है। जब बात कर्ज की तुलना में व्यवसाय में इक्विटी पर जोर दिए जाने की हो तो इक्विटी अधिक महत्त्वपूर्ण होनी चाहिए।

नए व्यापार सौदों के संदर्भ में उद्योग से कुछ आपत्तियां सामने आई हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है?
नहीं। हमें उन देशों के साथ एफटीए करने चाहिए जो भारत के लिए अच्छे निर्यात बाजार हैं। इनमें अमेरिका और यूरोप शामिल हैं, जहां हमारा ज्यादातर निर्यात होता है।

आप इस तर्क के बारे में क्या सोचते हैं कि अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे विकसित देशों में आयात शुल्क पहले से ही ऊंचे हैं, और भारत कम शुल्कों और अपने बाजार खोलने वाले देशों में से एक होगा?
अब हम व्यापार अधिशेष की स्थिति में हैं। लेकिन ये देश इस संदर्भ में अंतर कम कर रहे हैं। इसलिए, यदि हम समझौता नहीं करते हैं तो वे हमारे करों पर विचार करेंगे और भारत से आयात पर अपने कर बढ़ाने शुरू कर देंगे। ये देश इस्पात और एल्युमीनियम के लिए ऐसा पहले ही कर चुके हैं।

घटेगी राज्यों के राजस्व वृद्धि की गारंटी!

अभिषेक वाघमारे
नई दिल्ली, 18 दिसंबर

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून के तहत राज्यों को मिलने वाले राजस्व में सालाना वृद्धि अगले साल से घटकर 10 या 12 प्रतिशत रह जाएगी, जो इस समय 14 प्रतिशत देने का वादा किया गया है। एक अधिकारी ने नाम न दिए जाने की शर्त पर बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि बहरहाल यह बदलाव अभी विचाराधीन है और अगर राज्य इस पर व्यापक रूप से सहमत हो जाते हैं तो अगले वित्त वर्ष से इसे लागू किया जा सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि राज्य इस तरह के किसी प्रस्ताव का कड़ा विरोध करेंगे।

सूत्रों का कहना है कि दरअसल इस विचार पर 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन एनके सिंह ने इसके पहले की जीएसटी परिषद की बैठक में अपनी प्रस्तुति के दौरान चर्चा की थी।

वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, 'ऐसे किसी बदलाव पर तत्काल कोई चर्चा नहीं होने जा रहा है, लेकिन दीर्घावधि के हिसाब से इस पर विचार किया जाएगा।'

जीएसटी परिषद की बैठक इस समय चल रही है और वह इस सुझाव को संज्ञान में लेकर इस पर चर्चा कर सकती है।

कानून के तहत केंद्र सरकार राज्यों के जीएसटी राजस्व में 14 प्रतिशत बढ़ोतरी की रक्षा करने को प्रतिबद्ध है और अगर इसमें कोई कमी आती है तो जून 2022 तक केंद्र सरकार उसका मुआवजा देगी। जीएसटी परिषद ने राज्यों को मुआवजा देने के लिए जीएसटी दरों के ऊपर कुछ वस्तुओं पर मुआवजा उपकर लगाया था।

अगर जीएसटी राजस्व में संरक्षित वृद्धि घटाकर 10 प्रतिशत कर दी जाती है तो केंद्र सरकार का 2020-21 में 25,000 करोड़ रुपये बचेगा, अगर कोई भी राज्य राजस्व में वृद्धि नहीं दर्ज करता। यह केंद्र के सकल राजकोषीय घाटे की 0.1 प्रतिशत राशि है। इससे आने वाले वर्षों में केंद्र को राजकोषीय चूक से बचने में आंशिक मदद मिलेगी।

वित्त मंत्रालय की ओर से संसद में पेश किए गए दस्तावेजों से यह आंकड़े सामने आए हैं।

इस तरह से राज्य सरकारों को संरक्षित राजस्व न होने से कुछ राजस्व गंवाना पड़ सकता है, अगर वे 14 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाती हैं। वहीं केंद्र को भुगतान न करने से उसे लाभ होगा।

अगर उपरोक्त उल्लिखित स्थिति की कल्पना करें तो संरक्षित राजस्व की व्यवस्था न होने से महाराष्ट्र को 4,000 करोड़ रुपये गंवाना पड़ेगा, जो राजस्व संग्रह में शीर्ष पर है। वहीं कर्नाटक और तमिलनाडु को क्रमश: 2,500 करोड़ रुपये और 2,000 करोड़ रुपये गंवाने पड़ेंगे।

अगर राजस्व में वृद्धि की गारंटी घटाकर 12 प्रतिशत की जाती है तो केंद्र सराकर को इस समझौते में करीब 15,000 करोड़ रुपये का फायदा होगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा लगता है कि केंद्र व राज्यों की राजस्व वसूली में कमी को देखते हुए इस तरह के कदम पर विचार किया जा रहा है।

नैशनल इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक फाइनैंस ऐंड पॉलिसी (एनआईपीएफपी) के सच्चिदानंद मुखर्जी ने कहा, 'राजस्व कम आने की वहज से संभवत: केंद्र सरकार अब से हर साल 14 प्रतिशत राजस्व वृद्धि की गारंटी नहीं दे सकेगी।'

कुल राष्ट्रीय जीएसटी राजस्व में कम हिस्सेदारी वाले पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़ दें तो कोई भी अन्य राज्य अपने दम पर 14 प्रतिशत जीएसटी वृद्धि दर्ज करने में सक्षम नहीं नजर आ रहा है। इस बात की संभावना है कि राज्य सरकारें मुआवजा की अवधि जून 2022 के आगे बढ़ाने की मांग करें और वे संरक्षित राजस्व में कम वृद्धि को स्वीकार कर लें। मुखर्जी ने कहा कि मुआवजा उपकर और राजस्व संरक्षण गारंटी राज्यों व केंद्र को जीएसटी परिषद से जुड़े रहने की मुख्य वजह है और अगर मुआवजा और उपकर खत्म हो जाता है तो राज्यों के पास प्रोत्साहन के लिए कुछ नहीं रहेगा।

जीएसटी में मिली राजस्व गारंटी के नए प्रस्ताव पर चर्चा

- राज्यों के जीएसटी राजस्व में **14** प्रतिशत बढ़ोतरी की रक्षा केंद्र जीएसटी प्रावधानों के तहत करता है
- यह गारंटी घटाकर **10** या **12** प्रतिशत करने का प्रस्ताव वित्त आयोग ने रखा है
- **10** प्रतिशत गारंटी पर **2020-21** में केंद्र को राज्यों को करीब **25,000** करोड़ रु. कम देने होंगे
- **12** प्रतिशत गारंटी करने पर केंद्र के करीब **15,000** करोड़ रु. बचेंगे

एमडीए के गठन का प्रस्ताव

सोहिनी दास
मुंबई, 18 दिसंबर

सरकार की थिंक टैंक संस्था नीति आयोग ने सभी चिकित्सा उपकरणों को चरणबद्ध तरीके से एक नियामक के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव रखा है। आयोग ने कहा है कि चार खंडों के साथ एक अलग चिकित्सा उपकरण प्रशासन (एमडीए) बने।

बुधवार को राजधानी में साझेदारों के साथ हुई बैठक में नीति आयोग ने चिकित्सा उपकरण विधेयक के मसौदे के प्रमुख बिंदुओ पर चर्चा की। इस मसौदे पर अभी काम हो रहा है। नए विधेयक का लक्ष्य कारोबारी सुगमता लाना है क्योंकि नीति आयोग ने प्रस्ताव दिया है कि चिकित्सा उपकरण को पंजीकृत कराने के लिए या अनुपालन प्रमाणपत्र लेने के लिए निर्माण लाइसेंस होने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया जाए।

बहरहाल, सरकार चिकित्सा उपकरणों का राष्ट्रीय पंजी लाने पर भी विचार कर रही है जिसमें सभी उपकरणों को एक विशिष्ट पहचान दी जाएगी। इसके तहत एक ही डेटाबेस में निर्माताओं, आयातकों, वितरकों, विदेशी निर्माताओं का विवरण होगा। चिकित्सा उपकरण फिलहाल ड्रग्स ऐंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के अंतर्गत आते हैं। उद्योग के भीतर के लोग उम्मीद करते हैं कि विधेयक को अगले छह महीने में अधिसूचित किया जा सकता है। नीति आयोग ने प्रस्ताव दिया है कि चिकित्सा उपकरण प्राधिकरण केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के समानांतर होगा और यह स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) के अंतर्गत कार्य करेगा। पता चला है कि सीडीएससीओ पहले ही स्वास्थ्य मंत्रालय को इस अलग संस्था के लिए 700 स्थायी पदों के सृजन की मंजूरी देने का अनुरोध कर चुका है। बैठक में शामिल रहे उद्योग के एक सूत्र ने कहा, 'चिकित्सा उपकरणों के नियमन के लिए भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) की तर्ज पर एक अलग वैधानिक निकाय भी बनाई जा सकती है। इसको लेकर फिलहाल अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। हालांकि, सरकार ने तय किया है कि चिकित्सा उपकरणों का नियमन अब एक अलग निकाय के जरिये की जाएगी।'

उन्होंने कहा कि उद्योग जगत अपनी अपनी राय को लेकर बंटे हुए हैं। एक ओर जहां कुछ लोग इसके लिए एफएसएसएआई की तर्ज पर एक स्वायत्त वैधानिक निकाय बनाए जाने के पक्ष में है तो कुछ लोग चिकित्सा उपकरण नियमन को सीडीएससीओ के अंतर्गत ही रखने के पक्ष में हैं।

एफआरबीएम सीमा में मिले ढील

दिलाशा सेठ
नई दिल्ली, 18 दिसंबर

राज्यों ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से राज्यों के राजकोषीय घाटे की सीमा मौजूदा 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत किए जाने की मांग की है, क्योंकि चालू वित्त वर्ष में महंगाई को समायोजित करने पर उनके खर्च में कमी आएगी।

केरल के वित्त मंत्री थॉमस आइजक ने राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ सीतारमण की बजट पूर्व बैठक के बाद ट्वीट किया, 'बजट पूर्व बैठक में हुई सबसे अहम बात बिहार व केरल की ओर से वित्त मंत्री को राजकोषीय घाटे की सीमा बढ़ाकर 4 प्रतिशत किए जाने का प्रस्ताव है।' इस सुझाव से तमाम राज्यों ने सहमति जताई। इसाक ने आगे ट्वीट में कहा, 'चालू साल में राज्यों का वास्तविक व्यय कम होगा। मंदी के समय में इसका व्यापक असर होगा।' राज्यों को बाजार से उधारी लेने की जरूरत होगी, जिससे उनका राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3 प्रतिशत की सीमा को न पार करे। इसे वित्तीय दायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) सीमा कहा जाता है। राज्यों ने यह भी कहा कि उन्हें अगस्त और सितंबर का जीएसटी मुआवजा मिला है और केंद्र को अब अगले 2 महीने का मुआवजा देना चाहिए।

राज्य के वित्त मंत्रियों ने अपने एरियर से जुड़े मसले भी उठाए। महाराष्ट्र के नव नियुक्त वित्त मंत्री जयंत पाटिल ने कहा कि राज्य के आपदा प्रभावित इलाकों में राहत और पुनर्वास कार्यों के ळिए 14,400 करोड़ रुपये दिया जाना चाहिए।

रिजर्व बैंक ने कहा, कोछड़ मामले में सही थी कार्रवाई

सुब्रत पांडा
मुंबई, 18 दिसंबर

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने चंदा कोछड़ की याचिका पर अपने जवाब में कहा है कि नियामक की ओर से निलंबन की मंजूरी न्यायिक अधिकार क्षेत्र के तहत, उचित और बेहतरी के लिए थी और यह फैसला आईसीआईसीआई बैंक के निवेदन पर उचित विचार के बाद किया गया था। कोछड़ ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि उनके निलंबन को नियामक की मंजूरी अवैध थी।

शीर्ष बैंक ने कहा, 'इस तरह के अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए रिजर्व बैंक का यह काम नहीं है कि वह बैंक के इस तरह के सूक्ष्म प्रबंधन की कार्रवाई में बैंक के वाणिज्यिक स्वतंत्रता का विकल्प बने।'

रिजर्व बैंक ने कहा है, 'प्रबंध निदेशक की नियुक्ति रद्द करने को नियामकीय मंजूरी देते समय रिजर्व बैंक कार्रवाई की वैधता के फैसले पर ध्यान नहीं देता, कि बैंकिंग कंपनी ने संबंधित व्यक्ति से किस तरह अनुबंध किया था।'

इस मामले की आखिरी सुनवाई के दौरान आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अपने निलंबन को रिजर्व बैंक द्वारा मंजूरी दिए जाने को चुनौती दी थी। उन्होंने कहा कि यह कदम अवैध है और इसका कोई कानूनी आधार नहीं है। कोछड़ का कहना था कि बैंक को उनकी सेवाएं रद्द करने के पहले रिजर्व बैंक की अनुमति लेनी चाहिए थी। कोछड़ के वकील ने तर्क दिए कि वैधानिक बाध्यताओं का इस मामले में उल्लंघन हुआ है क्योंकि उन्हें निलंबित करने के पहले बैंक ने रिजर्व बैंक से मंजूरी नहीं ली थी। आईसीआईसीआई बैंक ने रिट याचिका पर यह कहते हुए सवाल उठाया है कि वह एक निजी बैंकिंग कंपनी है और रिट याचिका में उन मसलों को उठाया गया है जो निहायत निजी कॉन्ट्रैक्ट का मसला है। इस तरह से बैंक ने तर्क दिया था कि कोछड़ की याचिका का कोई कानूनी आधार नहीं है।

107 प्रतिशत रह सकता है अप्रैल-नवंबर का घाटा

अरूप रॉयचौधरी
नई दिल्ली, 18 दिसंबर

वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों से बिजनेस स्टैंडर्ड को मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार का अप्रैल-नवंबर का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2019-20 के बजट लक्ष्य 7.04 लाख करोड़ रुपये का 107 प्रतिशत हो सकता है।

अप्रैल-नवंबर 2018 में यह 114.8 प्रतिशत और इस साल अक्टूबर के अंत तक यह 102.4 प्रतिशत था। अप्रैल नवंबर के राजकोषीय घाटे का आधिकारिक आंकड़ा 31 दिसंबर को जारी होगा।

एक अधिकारी ने कहा, 'नवंबर के अंत तक राजकोषीय घाटा पूरे साल के लक्ष्य के 107 प्रतिशत पर पहुंच सकता है।'

आंकड़ों के मुताबिक यह 7.53 लाख करोड़ रुपये होगा। ऐसे में वित्त वर्ष के शेष महीनों में केंद्र को व्यय में भारी कटौती करनी पड़ेगी, जिससे कि राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा किया जा सके, जो बढ़कर जीडीपी के 3.3 प्रतिशत पर पहुंच चुका है। पहले खबर आई थी, सरकार राजकोषीय घाटे का लक्ष्य चूक सकती है।

बीएस सूडोकू 3616 | परिणाम संख्या 3615

	4			5	7	9	1	
7						6		8
	8	3	4	1	6			
6				4		3		
4	9		5		3		6	1
		7		8				9
			1	2	8	5	9	
5		1						7
	2	9	7	6			3	

8	2	3	7	5	9	6	4	1
4	9	5	6	1	3	8	7	2
7	1	6	2	4	8	5	9	3
5	8	7	3	9	6	2	1	4
6	4	9	1	2	5	7	3	8
1	3	2	4	8	7	9	5	6
2	7	8	9	3	1	4	6	5
3	6	4	5	7	2	1	8	9
9	5	1	8	6	4	3	2	7

कैसे खेलें?
हर रो, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

आसान
★★☆☆☆

क्षेत्रीय मंडियों के भाव

उत्तर प्रदेश | राजस्थान | पंजाब

कानपुर
गेहूं लूज 2080/2090, जौ 1770/1780, चावल मसूरी 2250/2300, चावल मोटा 2150/2225, सरसों 4300/4325, तिल सफेद 9400/9600, सोया (टीन) 1500/1525, तेल सरसों कच्ची घानी वैट पेड (टीन)1600/1670,

लखनऊ
गेहूं दड़ा 2100/2125, गेहूं शरबती 2700/2800, चावल शरबती सेला 3700/3750, स्टीम 4200/4300, लालमती 3300/3400, चावल (सोना) 2900/2975,

चंदौसी
(प्रति किलो): मैन्था ऑयल 1445, बोल्ड क्रिस्टल (12 नं.)1525, फ्लैक 1465, डीएमओ 1050, टरपीन लैस बोल्ड 1550

मुजफ्फरनगर
गुड़ (40 किलो): लड्डू 1200/1260, खुरपा 1150/1170, चाकू 1175/1250, रसकट 875/900, शक्कर 1200/1250, चीनी मिल डिली. (क्विं.) (जीएसटी अतिरिक्त): खतौली 3300, सिहोरा 3155, बुढ़ाना 3260, शामली 3215,

हापुड़
गुड़-चीनी: चीनी हाजिर 3550/3600, गुड़ (प्रति 40 किलो) बाल्टी 1000/1050, तिलहन: सरसों (42 प्रतिशत कंडी.) 4400, खल: सरसों 2250/2350, बिनौला 2500/2600, चना छिलका 1950/2000,

जयपुर
अनाज: चावल डीबी 5550/5650, गेहूं (मिल) 2145/2150, मक्की 2050/2100, बाजरा 1840/1850, जौ 1800/1825, ग्वार लूज 3750/3800, ज्वार कैटलफीड 2400/2500, तेल-तिलहन: सरसों(मिल पहुंच) 4770/4780,

श्रीगंगानगर
गेहूं (ढेरी) 2050/2100, ग्वार 3800/3825, जौ 2000/2010,

जोधपुर
गेहूं 2050/2080, जौ 1750/1775, पोपकोन मक्की 4400/4500, ग्वार डिलीवरी (ऑलपेड) 4000/4050, ग्वारगम 7500/7600, बाजरा (गुजरात) 1930/1935, बाजरा (जयपुर) 1890/1900, चना 4200/4250, काबली चना 4700/5900, मूंग 6200/6400,

खन्ना
जीएसटी अतिरिक्त (प्रति क्विं.): राइसब्रान (खाद्य)(प्रति प्वाइंट)125, राइसब्रान (अखाद्य) 122, खल सरसों 2050, डीओसी: राइसब्रान बैच सफेद 1250, लाल 1230, कंटीन्यूअस 1280,

लुधियाना
दाल-दलहन: राजमां चित्रा 7000/8000, अरहर दाल 7700/8300, उड़द साबुत 7500/8300, उड़द धोया 9600/10600, छिलका 9100/10100, दाल मसूर 5700/6000, चनादाल 5400/5600,

अमृतसर
चावल: बासमती (1121 नं.) स्टीम 6050/6150, सेला 5450/5550, शरबती साधारण सेला 3750/3850, शरबती स्टीम 4150/4250,चावल 1509 सेला 5100/5200, धान: शरबती 2100/2150,

बठिंडा
रुई (प्रति मन): जे-34 पंजाब 3950/3980, हरियाणा 3935/3955, राजस्थान 3880/3945, खल (प्रति क्विं.): बिनौला 2400/2500, सरसों खल 2220/2225,

फाजिल्का
गेहूं 2130/2140, सरसों 4400/4425 रुई (प्रति मन): (जे-34) 3850/3980,कपास देशी 4850/4950, कपास नरमा (क्विं.) 5100/5300, बिनौला (टैक्सपेड): खल 2400/2500,

जालंधर
गेहूं दड़ा 2100/2120, चावल परमल कच्चा 2450/2500, से ला 2375/2400, मक्की यूपी 2300/2310, बिहार 2365/2370, दाल उड़द छिलका 8800/10600, चना देशी 4975/5050, दाल चना 5150/5400, काबली चना 4900/5750, राजमां चित्रा पुणे 7000/8300, चीन 7200/7800,

करनाल
गेहूं दड़ा 2120/2130, बासमती चावल 6450/6550, धान 1121 नं. 2850/2900, पूसा 1509 धान 2500/2575, शरबती धान 2150/2200, सेला (1509 नं.) चावल 5150/5200, स्टीम 5850/5950,

हिसार
ग्वार 3800/3825, जौ 1775/1780, सरसों 4200/4250, मूंग 6700/6800, गेहूं 2130/2140,

जींद
जीएसटी अतिरिक्त: गेहूं 2100/2150, आटा (प्रति 44 किलो) 1070/1090, मैदा 1175/1190, देशी घी (एक ली/जार) 370/470, रिफाइंड (टीन) 1385/1400,

भिवानी
जीएसटी अतिरिक्त: सरसों 4300/4350, खल बिनौला मोटी 2300/2500, बिनौला 2800/3200, सरसों तेल 9200/9250, गेहूं 2100/2200, ग्वार 3800/3850, बाजरा 1800/1850 *एनएनएस*

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 260

टाटा को झटका

राष्ट्रीय कंपनी लॉ अपील पंचाट (एनसीएलएटी) ने साइरस मिस्त्री को टाटा संस के चेयरमैन के पद पर बहाल कर दिया है और उनके उत्तराधिकारी एन चंद्रशेखरन की नियुक्ति को अवैध ठहराया है। यह फैसला समूचे टाटा समूह के लिए भारी अनिश्चितता लेकर आएगा और साथ ही व्यापक कारोबारी जगत भी इससे प्रभावित होगा। टाटा संस को पब्लिक से प्राइवेट किए जाने के निर्णय को भी अवैध ठहराया गया और पलट दिया गया। हालांकि निर्णय का क्रियान्वयन चार सप्ताह के बाद किया जाएगा। इस बीच टाटा समूह को यह अवसर दिया गया है कि वह इसका प्रतिवाद कर सके। समूह पर काफी गंभीर आरोप हैं। इनमें अल्पमत अंशधारकों (शापूरजी पलोनजी समूह उनमें से एक है) का दमन, टाटा संस का कुप्रबंधन और मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटाने में अनावश्यक हड़बड़ी शामिल है। यदि एनसीएलएटी का निर्णय समुचित मंच पर बरकरार रहा तो नये प्रबंधन द्वारा लिए गए कई अहम निर्णय जांच के दायरे में आ जाएंगे। इससे अनिश्चितता और बढ़ेगी। टाटा समूह की कंपनियों पर इसका तत्काल नकारात्मक असर देखने को मिला।

एनसीएलएटी के निर्णय से यह स्पष्ट है कि टाटा संस में कई बदलाव होंगे। टाटा समूह पारंपरिक तौर पर देश में कारोबार शासन के बेहतरीन मानक पेश करता रहा है लेकिन एनसीएलएटी का निर्णय बताता है कि टाटा संस में कई तरह की दिक्कतें थीं। यह समूह के लिए और व्यक्तिगत तौर पर रतन टाटा के लिए बड़ा झटका है। पंचाट ने कहा है कि वे समूह में हस्तक्षेप करने से बचें। मिस्त्री की शिकायत थी कि टाटा के साथ मुद्दों पर चर्चा के लिए निदेशकों ने बोर्ड बैठक बीच में छोड़ दी थी और उन्हें टाटा संस के बोर्ड के बजाय मुद्दों की रिपोर्टिंग अलग से टाटा ट्रस्ट को करनी पड़ती थी। ये दोनों बातें एनसीएलएटी के निर्णय में नजर आईं। ऐसे में यह स्पष्ट है कि टाटा ट्रस्ट और टाटा को टाटा संस में अपनी अभिरुचि को समुचित और पारदर्शी ढंग से प्रबंधित करना होगा। उन्हें इस आरोप का जवाब देना होगा कि होल्डिंग कंपनी का परिचालन कंपनियों में अल्पांश हिस्सेदारी वाला न्यास अहम निर्णय लेता है, न कि परिचालन कंपनियों का बोर्ड अथवा मुख्य कार्याधिकारी। यह प्रबंधन की एजेंसी व्यवस्था का प्रदर्शन है जिसका आधी सदी पहले अंत हो चुका है। टाटा समूह का कॉर्पोरेट ढांचा वैसा ही अस्पष्ट है और टाटा संस की दोतिहाई हिस्सेदारी न्यासों के पास है। इसका आधुनिकीकरण आवश्यक है।

बहरहाल, इस निर्णय से चेयरमैन की नियुक्ति और उसे हटाए जाने के बारे में व्यापक प्रश्न उठे हैं। एक ऐसा चेयरमैन जिसने बोर्ड तथा प्रमुख अंशधारकों का भरोसा गंवा दिया है वह कैसे पद पर काम जारी रखेगा? मिस्त्री समूह ने आरोप लगाया था कि चेयरमैन को बिना नोटिस दिए हटाया गया जो अवैध है। परंतु तथ्य तो यह भी है कि टाटा संस के नौ में से सात निदेशकों ने मिस्त्री को हटाने के पक्ष में मत दिया था। उम्मीद की जानी चाहिए कि कार्यपालिका और सर्वोच्च न्यायालय एनसीएलएटी के निर्णय के असर का सावधानी से आकलन करेंगे और जरूरत होने पर उपयुक्त बदलाव करेंगे। पंचाट का यह आकलन पर्याप्त नहीं है कि बहुलांश हिस्सेदारों की मंजूरी से चेयरमैन नियुक्त हो सकता है। अल्पांश धारकों की सहमति की आवश्यकता की बात भी विवादास्पद है। यदि सर्वोच्च न्यायालय इसे पलट नहीं देता तो आम तौर पर कंपनियों पर इस निर्णय के असर के बारे में भी सवाल होना चाहिए। मसलन एनसीएलएटी का जोर है कि अधिसूचना और बिना पंचाट को जानकारी दिए कंपनियों के प्राइवेट होने के बारे में विशिष्ट नियमों के बावजूद, ऐसे मामलों में कंपनी अधिनियम 2013 की मूल आवश्यकताओं का पालन किया जाए। कंपनी मंत्रालय को इस अनिश्चितता को जल्द से जल्द स्पष्ट करना चाहिए।

अजय मोहंती

व्यापार नीति के मोर्चे पर जहां के तहां हम

बीते पांच वर्षों की बात करें तो व्यापार नीति के मामले में देश वहीं खड़ा है जहां से हमने आगे बढ़ने की शुरुआत की थी। इस संबंध में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं **राहुल खुल्लर**

देश की अर्थव्यवस्था संकट में है और सरकार का आर्थिक प्रबंधन आलोचकों के निशाने पर है। इन बातों से अविचलित सरकारी अधिकारी बुनियाद मजबूत होने की बात कहते हैं। यदि हम अपने अविश्वास को एक पल के लिए परे कर दें तो भी यह सवाल तो बरकरार है कि आखिर अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए क्या नीति है? केवल बुनियादी चीजें ठीक होने से बात नहीं बनेगी। वर्ष 2014 के बाद से विदेश व्यापार के लिए समुचित रणनीति का अभाव सबसे ज्यादा महसूस किया जा रहा है।

वर्ष 2004-14 के दौरान सहारा देने वाली एक नीति मौजूद थी: इसके तहत शेष विश्व के साथ आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा दिया गया, संरक्षण और शुल्क कम किए गए और उद्योग एवं निर्यात क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया गया। मुक्त व्यापार समझौते और व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौतों की मदद से व्यापार और विदेश नीति के लक्ष्यों को जोड़ा गया। हालांकि सन 2014 तक कुछ उनींदापन आने लगा था। परंतु नीतियों में कोई एकरूपता नहीं थी, सार्थक नीति की तो बात ही छोड़ दें। हां, परोक्ष रूप से दिए जा रहे वक्तव्य और निर्यात संवर्द्धन नीतियों के नाम बदलने का सिलसिला अवश्य जारी था। परंतु इससे कोई नीति तो नहीं बनती।

आंकड़े खुद पूरी कहानी बयां करते हैं। सन 2003-04 से एक दशक तक वाणिज्यिक वस्तुओं का निर्यात और आयात क्रमश: 17.3 फीसदी और 19.1 फीसदी वार्षिक की दर से बढ़ा। सन 2013-14 से अब तक के पांच वर्ष में इनकी वार्षिक वृद्धि दर क्रमश: निर्यात के लिए 0.9 फीसदी और आयात के लिए 2.7 फीसदी रही। महा मंदी के आगमन तक व्यापार का विस्तार हो रहा था और मात्रात्मक राहत ने भी इसमें मदद की। अब आप इसे सही समय पर सही नीति मानें या अच्छी तकदीर यह आप पर है।

इसके उलट बीते पांच वर्ष में सरकार ने मानो विपरीत बाह्य परिस्थितियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। इसमें कितनी सच्चाई है? इन पांच वर्षों में एशिया से होने वाला निर्यात 20 फीसदी बढ़ा। कुछ देशों का प्रदर्शन तो इससे भी बेहतर रहा। बांग्लादेश का वस्त्र निर्यात इस अवधि में 40 फीसदी बढ़ा। अकेले 2018 में मलेशिया और वियतनाम ने क्रमश: 14 प्रतिशत और 15 प्रतिशत की निर्यात वृद्धि दर्ज की। सच कहा जाए तो कोई विदेश व्यापार नीति थी ही नहीं। तेल कीमतों में गिरावट के रूप में अप्रत्याशित लाभ अवश्य मिला। व्यापार संतुलन बढ़ने के साथ ही यह धारणा बढ़ी कि बाहरी व्यापार में कोई संकट नहीं है। दुख की बात है कि कुछ बातों का पूर्वानुमान नहीं था। वास्तविक विनिमय दर में इजाफा हुआ और नीतिगत प्रतिक्रिया के अभाव में निर्यात स्थिर हो गया।

मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देकर विनिर्माण और रोजगार में इजाफा लाने का प्रयास किया गया। दुर्भाग्य से मेक इन इंडिया पहल नारा बनकर रह गई। इससे न तो विनिर्माण को गति मिली और न रोजगार को। जब इसकी शुरुआत हुई थी तब आशंका जताई गई थी कि यह अतीत के आयात प्रतिस्थापन जैसा कदम न साबित हो। दुख की बात है कि हुआ भी ऐसा ही। बीते कुछ वर्षों में संरक्षणवाद में निरंतर इजाफा हुआ है। सबसे पहले 2016 में लोहे और इस्पात की वस्तुओं के लिए न्यूनतम आयात मूल्य तय किया गया। इसके बाद जुलाई और सितंबर 2018 में विभिन्न वस्तुओं का आयात शुल्क बढ़ाया गया। जुलाई 2019 के बजट में स्वर्ण समेत 75 वस्तुओं पर शुल्क बढ़ाया गया। लक्ष्य: घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना।

संक्षेप में कहें तो शुल्क दरों में चरणबद्ध कमी की नीति को उलट दिया गया। ऐसे में भले ही विदेश व्यापार नीति को लेकर कुछ स्पष्ट नहीं कहा गया लेकिन मानसिकता समझी जा सकती है। वाणिज्य मंत्री ने हाल ही में कहा कि लक्ष्य था आयात को कम करके चालू खाते के घाटे पर नियंत्रण करना।

व्यापार संतुलन और चालू खाता घाटे का संबंध विनिमय दर और राजकोषीय घाटे से है। घरेलू विसंगति और नीतिगत निष्क्रियता बढ़े हुए चाले खाता घाटे का कारण रही है। बीते पांच वर्ष के दौरान इन नीतिगत विसंगतियों से निपटने के लिए कुछ खास नहीं किया गया। वर्ष 2018-19 में कोयला आयात बिल 26.2 अरब डॉलर का था जो 2013-14 से 60 फीसदी अधिक था। देश के कुल आयात में कोयले की हिस्सेदारी 5 फीसदी है। घरेलू कोयला उत्पादन जरूरतों का 60 फीसदी ही पूरा कर पाता है। उच्च शिक्षा की त्रासदी देखिए कि भारत हर साल विदेशों में उच्च शिक्षा पर 21 अरब डॉलर खर्च करता है। मात्र पांच वर्ष में यह राशि दोगुनी हो चुकी है। इस अवधि में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का आयात 70 फीसदी बढ़ा और 2018-19 में यह 56 अरब डॉलर हो गया। औषधि और रसायन क्षेत्र का भी यही किस्सा है।

निर्यात और बाहरी क्षेत्र की इस अनदेखी ने प्रतिस्पर्धा, उत्पादकता और सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि तीनों को प्रभावित किया। अब तो नए संकट भी सामने नजर आने लगे हैं। 2011-12 में उच्चतम व्यापार घाटा 190 अरब डॉलर था जो 2018-19 में 184 अरब डॉलर हो गया। यह 2013-14 के 136 अरब डॉलर से बहुत अधिक है। चिंता की बात यह है कि महज दो वर्ष में व्यापार संतुलन में 70 फीसदी की गिरावट आई है। दूसरा, शुद्ध तेल आयात 2013-14 में 101 अरब डॉलर था और 2018-19 में यह 94 अरब डॉलर का स्तर पार कर गया। यह 2015-16 से लगभग दोगुना है। तेल कीमतों में कमी के बावजूद हम जहां के तहां हैं। तेल कीमतों में गिरावट का भी हम लाभ न ले सके। तीसरा, वर्ष 2013-14 के बाद के पांच वर्ष में भारतीयों द्वारा विदेशों से भेजे जाने वाले धन में 1.5 फीसदी की वृद्धि हुई है। शुद्ध निवेश आय घाटा इस पांच वर्ष की अवधि में 5.8 फीसदी वार्षिक की दर से बढ़ा। नतीजा: हम अब बाहरी धनप्रेषण पर पहले की तुलना में अधिक निर्भर हैं और चालू खाते के घाटे को प्रबंधनीय स्तर पर रखने के लिए अन्य सेवाओं की बाट जोहनी पड़ रही है।

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक सहयोग साझेदारी से बाहर निकलने का निर्णय खूब चर्चा में रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार एक आवश्यकता को विशेषता बताने का प्रयास कर रही है। देखा जाए तो कोई ऐसी विदेश व्यापार नीति अथवा अन्य नीति नहीं हो सकती है जो उपचारात्मक उपायों के माध्यम से घरेलू नीति की विसंगतियों को दूर करने के लिए प्रयास कर सके। अतीत की ओर वापसी असर हम देख ही चुके हैं।

जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जंग अब लाने लगी है रंग

तकनीकी तंत्र

देवांग्शु दत्ता

टाइम पत्रिका की पर्सन ऑफ 2019 ग्रेटा थनबर्ग ऐसी एकमात्र शख्सियत हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में खड़े होकर दुनिया के नेताओं की आलोचना की। स्वीडन की यह किशोरी अभी मतदान की उम्र से काफी छोटी हैं। न तो वह वैज्ञानिक हैं और न ही नीति निर्माता। जलवायु परिवर्तन की समस्या के खिलाफ उनकी बातों से पूरी दुनिया में एक व्यापक आंदोलन खड़ा करने में मदद मिली है। लेकिन जलवायु परिवर्तन की समस्या के खिलाफ उनकी मुहिम रंग ला रही है और यह एक बड़े आंदोलन का रूप ले रहा है। कई स्थानों पर युवाओं ने इस मुद्दे पर व्यापक जनसभाएं की हैं जिससे अब लोगों का रुझान इस तरफ बढ़ा है। पिछले दशकों के दौरान जलवायु परिवर्तन पर हुई बहस और बैठकों की तुलना में युवाओं का आंदोलन ज्यादा कारगर रहा है। ग्रीनहाउस प्रभाव के कारण धरती का तापमान बढ़ने से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। सौर उष्मा के फंसने से पृथ्वी गर्म होती है। दिन के समय वायुमंडल और पृथ्वी की सतह धूप और उष्मा सोखती है। रात के समय पृथ्वी की सतह वायमुंडल में उष्मा छोड़कर ठंडी होती है। इसमें से कार्बन डाई ऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीनहाउस गैसों की मौजूदगी के कारण कुछ उष्मा सोख ली जाती है। ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा बढ़ने पर औसत तापमान भी बढ़ता है। इसका एक और भयावह प्रभाव होता है। इससे मौसम के चक्र में बदलाव होता है जिससे बेमौसम चक्रवाती तूफान आते हैं, बर्फ के पिघलने से समुद्रतल का स्तर बढ़ता है, गर्मियों का मौसम औसत से ज्यादा गरम और लंबा होता है। शताब्दियों पहले इस बात को समझ लिया गया था। जोसफ फूरियर जैसे वैज्ञानिकों ने 1820 के दशक में इसकी संभावना पर चर्चा की थी। वर्ष 1903 में रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले स्वैंट ऐरेहीनियस ने वायुमंडल में कार्बन डाईऑक्साइड की मात्रा दोगुनी होने की संभावना पर उसके प्रभावों के बारे में एक मॉडल बनाया था। जलवायु परिवर्तन शब्द 1900 के दशक की शुरुआत में आया था। (ऐरेहीनियस थनबर्ग के दूर के पूर्वज हैं।)

औद्योगिक क्रांति के बाद विकसित अधिकांश प्रौद्योगिकी जीवाश्म ईंधन पर आधारित है। जीवाश्म ईंधन जलने से कार्बन डाईऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैसें पैदा होती हैं। ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के कारण जलवायु परिवर्तन प्रभावों के सटीक मॉडल की शुरुआत 50 साल पहले 1970 के दशक में हुई थी। वैज्ञानिक संदर्भ में ये अध्ययन सटीक थे। एक नए अध्ययन के मुताबिक 1970 से 2007 के बीच जारी किए गए 17 मॉडलों में से 14 में ऐसे प्रभावों का अनुमान जताया गया था जो हम आज देख रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में वैज्ञानिकों के बीच आम सहमति है और हर वह आंकड़ा जो हम माप सकते हैं, वह यही बताता है कि चीजें बदतर हो रही हैं। साल दर साल औसत तापमान बढ़ रहा है। आर्कटिक और हिमनदों में मौजूद बर्फ सोखी गई मीथेन और दूसरी ग्रीनहाउस गैसें छोड़ रही हैं। इससे चीजें और बदतर हो रही हैं। इससे बड़ी मात्रा में जीवजंतुओं की प्रजातियों का लुप्तप्राय होना शुरू हो गया है।

हिमालय और आर्कटिक जैसी नाजुक पारिस्थिकी तंत्रों पर इसका भयावह असर हो सकता है। समुद्री जल का स्तर बढ़ने से समुद्र के किनारे बसे शहर और द्वीपसमूह जलमग्न हो जाएंगे। भारत की समुद्री सीमा बहुत व्यापक है और वह उन पांच देशों में शामिल है जो समुद्र का जलस्तर बढ़ने से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। इनमें बांग्लादेश पहले स्थान पर है।

जलवायु वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा तो 35 करोड़ लोग सूखे से प्रभावित होंगे और कम से कम 12 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे चले जाएंगे। ऐसा 2030 तक हो सकता है।

दुर्भाग्य से वैज्ञानिक आम सहमति का मतलब भूराजनीतिक आम सहमति नहीं है। दुनियाभर के देशों को इस समस्या से निपटने के लिए उपाय करने की जरूरत है। इसके लिए 2030 तक उत्सर्जन में कम से कम 7.6 फीसदी की सालाना दर से कटौती करनी होगी। यह सैद्धांतिक रूप से संभव है, लेकिन इसके लिए भूराजनीतिक आम सहमति की जरूरत होगी। जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए न केवल नई ग्रीन प्रौद्योगिकी की जरूरत है बल्कि हर देश में इसका क्रियान्वयन जरूरी है। इसकी लागत बहुत ज्यादा है। इसके लिए जीवनशैली में भी बदलाव की जरूरत होगी जिससे हर कोई प्रभावित होगा। जीवाश्म ईंधन की जगह अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल से बिजली और ऊष्मा की लागत बढ़ सकती है। साथ ही इससे ज्यादा मुनाफा कमाने वाले उद्योग (कोयला, तेल एवं गैस, जहाजरानी, वायु परिवहन) नष्ट हो जाएंगे और लाखों लोगों का रोजगार प्रभावित होगा। उभरती अर्थव्यवस्थाओं में उत्सर्जन में कमी के लिए पूरी अर्थव्यवस्था को बदलना पड़ सकता है जो सस्ती ताप ऊर्जा पर निर्भर हैं।

कई ऐसे धड़े हैं जो इसका विरोध करते हैं। परंपरागत ऊर्जा उद्योगों के अलावा कई राजनीतिज्ञ भी इस वैज्ञानिक वास्तविकता से इनकार करते आए हैं। जलवायु परिवर्तन को खारिज करने वाली राजनेताओं की इस शक्तिशाली लॉबी में उन देशों के राजनेता शामिल हैं जो ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में शीर्ष पर हैं। साथ ही जीवाश्म ईंधन का निर्यात करने वाले प्रमुख देशों के नेता भी इस जमात का हिस्सा हैं। डॉनल्ड ट्रंप और जेयर बोलसोनारो ने सार्वजनिक रूप से थनबर्ग की उपेक्षा की है। व्लादीमिर पुतिन भी इसे खारिज करते आए हैं।

लेकिन कुछ सकारात्मक बदलाव हुए हैं। ज्यादा सरकारें अब पेरिस समझौते को गंभीरता से ले रही हैं। शायद इसकी वजह यह है कि राजनेताओं के बच्चों ने इसमें पहल शुरू कर दी है। ब्रिटेन ने शून्य उत्सर्जन विधेयक पारित किया है। यूरोपीय संघ पेरिस समझौते का पालन नहीं करने वाले देशों से आयात पर भारी कर लगाने की तैयारी कर रहा है। यह देखना होगा कि अगले कुछ वर्षों में इसका क्या असर देखने को मिलता है। संभव है कि ग्रेटा और उनकी पीढ़ी ने पृथ्वी को जलवायु परिवर्तन की समस्या से बचाने की लड़ाई में फर्क पैदा करने के लिए पर्याप्त कोशिश की है।

कानाफूसी

दंड-बैठक का दंड

मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के राऊ कस्बे के लोग घनी आबादी वाले इलाकों में तेज गति से बस चलाने वाले बस चालकों को दंडस्वरूप दंड-बैठक लगाने को कहते हैं। इसकी एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। वीडियो में पांच बस चालकों को बस की छत पर दंड-बैठक लगाते देखा जा सकता है। राऊ नगरपालिका के प्रमुख शिवनारायण दींगू कहते हैं कि इंदौर से महू, मानपुर और पीथमपुर तक बस चलाने वाले बस चालक लोगों की जान की परवाह नहीं करते और संकरी सड़कों पर बेहद तेज गति से बसें चलाते हैं। वे जल्दी जाकर पहले सवारी बटोरने के लिए ऐसा करते हैं। उन्होंने कहा कि उनके इतनी हड़बड़ी में बस चलाने से कई लोगों की जान भी जा चुकी है। ऐसे में इस तरह का दंड उन्हें आगाह करेगा कि वे सावधानी से बस चलाएं।

प्लास्टिक के फूलों से जंग

देश में एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लग चुका है। परंतु ऐसा लग रहा है कि कुछ सरकारी विभाग एकल इस्तेमाल वाले प्लास्टिक के प्रयोग पर रोक के मामले में सीमा पार कर चुके हैं। कैबिनेट सचिवालय ने हाल ही में रेलवे को एक निर्देश जारी करके कहा कि प्लास्टिक के फूलों और गुलदस्तों के इस्तेमाल को कम या समाप्त किया जाए। यह निर्देश उन संगठनों को प्रसन्न करेगा जिन्होंने लंबे अरसे से प्लास्टिक के फूलों के इस्तेमाल के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। उनका आरोप है कि ऐसे फूलों का इस्तेमाल असली फूलों का कारोबार करने वालों की परेशानी का सबब बना हुआ है।

आपका पक्ष

देश में महिला-पुरुष की असमानता गंभीर

महिला और पुरुष समानता में भारत चार पायदान फिसल कर 112वें स्थान पर आ गया है। साल भर पहले भारत का स्थान 108वां था। महिला और पुरुषों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते फासले से संबंधित विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। महिला और पुरुष अंतर रिपोर्ट में भारत का स्थान चीन के 106, श्रीलंका के 102, नेपाल के 101, ब्राजील के 92, इंडोनेशिया के 85 और बांग्लादेश के 50 से भी नीचे है। इस रिपोर्ट के मुताबिक महिला और पुरुष असमानता को चार कारकों में बांटा गया था जिसमें महिलाओं को उपलब्ध आर्थिक अवसर, राजनीतिक सशक्तीकरण, शैक्षणिक उपलब्धियां तथा स्वास्थ्य एवं जीवन प्रत्याशा है। इस रिपोर्ट के आंकड़े बेहद चिंतनीय है क्योंकि भारत अपने पड़ोसी देश चीन, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से भी नीचे है। देश में महिलाओं को समान अवसर प्राप्त

महिला और पुरुष समानता में भारत चार अंक फिसलकर 112वें स्थान पर आ गया

नहीं होते हैं जिससे उनकी भूमिका सिर्फ गृहिणी तक सिमट कर रह जाती है। कार्यक्षेत्र में देखें तो निजी क्षेत्रों में महिलाओं को रोजगार प्राप्त करने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। इसकी मुख्य वजह महिला कर्मियों द्वारा छुट्टी की अधिक मांग करना, गर्भवती होने पर लंबी छुट्टी पर जाना तथा घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए छुट्टी की मांग करना आदि है। इसके अलावा महिला कर्मियों को रात की पाली में काम करने में परेशानी भी एक वजह है। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार महिला और पुरुष के बीच विभिन्न क्षेत्रों में अंतर पाटने के लिए करीब 100 साल लगेंगे। इसका अर्थ यह है कि भारत आज भी अन्य देशों के मुकाबले 100 साल पीछे चल रहा है। देश के विकास के लिए महिलाओं की समान भागीदारी बहुत जरूरी है। देश और समाज तभी सशक्त हो सकेगा जब महिला भी आर्थिक रूप से सशक्त होंगी।

प्रियंका कुमारी, नई दिल्ली

सोशल मीडिया पर समर्थन-विरोध गलत

देश के कुछ राज्यों में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर काफी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस दौरान कुछ जगहों पर हिंसा भी हुई है। कुछ विश्वविद्यालयों तक इस कानून के विरोध की आंच भी पहुंच गई और छात्र-छात्राएं अपनी पढ़ाई को दरकिनार कर इस कानून का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए। लोकतंत्र में सरकार की नीतियों का विरोध करने का अधिकार सभी नागरिकों को है लेकिन विरोध की आड़ में हिंसा पर उतारू होना सरासर गलत है। नागरिकता कानून को कुछ लोग धर्म के नाम पर और कुछ लोग राजनीति करने के लिए इसका समर्थन और विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वाले सड़कों पर उतर रहे हैं वहीं कुछ लोग सोशल मीडिया पर इसका विरोध कर रहे हैं। इस कानून के विरोध या समर्थन में लोग सोशल मीडिया पर ऐसी बात कह रहे होंगे जो किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली हो। सरकार, प्रशासन और पुलिस को सोशल मीडिया पर गंभीरता से नजर रखने के लिए पुख्ता इंतजाम करने चाहिए, ताकि नागरिकता कानून के विरोध में हिंसा की चिंगारी को शरारती तत्त्वों द्वारा सोशल मीडिया के जरिये नहीं भड़काया जा सके। न्यूज चैनलों को भी इस मुद्दे पर बहस करने से बचना चाहिए।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

बेमौसम बारिश और बाढ़ से गन्ने की फसल को हुआ काफी नुकसान

चीनी उत्पादन 35 फीसदी गिरा

सुशील मिश्र
मुंबई, 18 दिसंबर

चीनी उत्पादन कम, बढ़ सकते हैं दाम

- चालू सीजन में महाराष्ट्र में 15 दिसंबर तक चीनी का उत्पादन करीब 74 फीसदी और कर्नाटक में 24 फीसदी कम हुआ
- उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन पिछले साल की तुलना में 12 फीसदी से अधिक है
- कम उत्पादन और निर्यात मांग अधिक होने के कारण देश में चीनी के दाम में हो सकती है बढ़ोतरी

महाराष्ट्र और कर्नाटक में गन्ना पेराई देर से शुरू होने के कारण चालू पेराई सत्र में देश का चीनी उत्पादन पिछले साल के मुकाबले 35 फीसदी कम है। चालू सीजन में महाराष्ट्र में 15 दिसंबर तक चीनी का उत्पादन करीब 74 फीसदी और कर्नाटक में 24 फीसदी कम हुआ है। हालांकि सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन पिछले साल से 12 फीसदी से भी अधिक है। कम उत्पादन और निर्यात मांग अधिक होने के कारण देश में चीनी के दाम में भी बढ़ोतरी हो सकती है।

एक अक्टूबर से शुरू हुए चीनी विपणन वर्ष (अक्टूबर से सितंबर) में 15 दिसंबर तक देश का चीनी उत्पादन 35 फीसदी गिरकर 45.8 लाख टन पर आ गया है। निजी चीनी मिलों के शीर्ष संगठन इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) द्वारा जारी बयान के मुताबिक विपणन वर्ष 2018-19 की इसी अवधि में चीनी उत्पादन 70.5 लाख टन था। देशभर में 15 दिसंबर तक 406 चीनी मिलों में गन्ने की पेराई चल रही थी जबकि पिछले साल इस तारीख तक 473 मिलें पेराई कर रही थीं। संस्था का कहना है कि देश में चीनी उत्पादन कम होने की वजह वजह महाराष्ट्र और कर्नाटक में उत्पादन कम होना है।

उत्तर प्रदेश की चीनी उत्पादन में बादशाहत इस बार भी बनी हुई है। चालू सीजन में अभी तक राज्य में चीनी का उत्पादन पिछले साल की अपेक्षा 12.17 फीसदी अधिक है। इस्मा के मुताबिक राज्य में 15 दिसंबर तक 21.2 लाख टन चीनी का उत्पादन हो चुका है जोकि एक साल पहले इसी अवधि में 18.9 लाख टन था। इस समय राज्य की 119 चीनी मिलों में गन्ना पेराई का काम चालू है जबकि पिछले साल इस समय 116 चीनी मिलों में पेराई हो रही थी। राज्य में चीनी उत्पादन अधिक होने की वजह इस सीजन में पेराई एक सप्ताह पहले चालू होना भी माना जा रहा है।

देश के दूसरे सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में इसके उत्पादन में तेज गिरावट दर्ज की गई है। यहां चीनी मिलें 15 दिसंबर तक 7.66 लाख टन चीनी का ही उत्पादन कर सकी हैं। जबकि पिछले साल इस तिथि तक राज्य में 29 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था। राज्य में इस साल 15 दिसंबर तक 124 चीनी मिलों में गन्ने की पेराई चल रही थी जबकि पिछले साल सामान्य अवधि में राज्य की 178 चीनी मिलों में पेराई का काम शुरू था। महाराष्ट्र चीनी आयुक्त शेखर गायकवाड ने बताया कि चीनी सीजन 2018-19 के दौरान महाराष्ट्र में 107 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था जो इस बार घटकर 58 लाख टन तक पहुंच सकता है। महाराष्ट्र में चीनी उत्पादन में कमी की वजह बाढ़ और बेमौसम बारिश से फसल का खराब होना और गन्ना का रकबा कम होना बताया जा रहा है। गायकवाड के मुताबिक राज्य में 2019-20 में चीनी का रकबा घटकर 8.22 लाख हेक्टेयर रह गया है जबकि 2018-19 के दौरान राज्य में 11.62 लाख हेक्टेयर में गन्ने की फसल खड़ी थी।

तीसरे सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य कर्नाटक में 15 दिसंबर तक चीनी उत्पादन 23.74 फीसदी गिरकर 10.6 लाख टन रह गया। एक साल पहले इसी समय यहां 13.9 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था। कर्नाटक में 63 चीनी मिलों में गन्ना पेराई चालू है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में चीनी उत्पादन पिछले साल की तुलना में कम है। इसकी वजह दोनों राज्यों में मिलों का देर से काम शुरू करना है। गन्ने की पेराई से चीनी निकालने में भी पिछले साल के मुकाबले कमी आने की सूचना है। चीनी मिलें ताजे गन्ने के साथ बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुए गन्नों की भी पेराई कर रही हैं।

गुजरात में 1.52 लाख टन, बिहार में 1.35 लाख टन, पंजाब में 75 हजार टन, तमिलनाडु में 73 हजार टन, हरियाणा में 65 हजार टन, मध्य प्रदेश में 35 हजार टन और तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश में मिलाकर 30 हजार टन चीनी का उत्पादन हुआ है। इस्मा के मुताबिक चालू पेराई सीजन 2019-20 में देश का चीनी का उत्पादन 21.5 फीसदी घटकर 260 लाख टन ही होने वाला है जबकि पिछले पेराई सीजन में 331.61 लाख टन चीनी का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ था। पहली अक्टूबर 2019 से शुरू हुए पेराई सीजन में चीनी का बकाया स्टॉक 145.81 लाख टन बचा हुआ था। देश में चीनी की सालाना खपत 255 से 260 लाख टन के बीच होती है।

छत्तीसगढ़ का खनन पट्टा बढ़ने से एनएमडीसी को मिलेगा फायदा

टीई नरसिम्हन
चेन्नई, 18 दिसंबर

■ छत्तीसगढ़ सरकार ने बैलाडिला लौह अयस्क परियोजना एनएमडीसी लिमिटेड के खनन पट्टे की अवधि 20 साल तक यानी सितंबर 2035 तक बढ़ाई

सार्वजनिक क्षेत्र की खनिक एनएमडीसी वित्त वर्ष 2020 का समापन उत्साहजनक रिपोर्ट के साथ करेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने बैलाडिला लौह अयस्क परियोजना एनएमडीसी लिमिटेड के खनन पट्टे की अवधि 20 साल तक यानी सितंबर 2035 तक बढ़ा दी है। कंपनी के वजूद के लिए मियाद में यह इजाफा बहुत अहम था। विशेषज्ञों का कहना है कि इस घटनाक्रम से पहली छमाही तक कंपनी की कुल बिक्री लगभग 2,500-3,000 करोड़ रुपये तक बढ़ जाएगी। आज कंपनी का शेयर 2.35 प्रतिशत इजाफे के साथ 119.90 रुपये पर बंद हुआ।

विश्लेषक ने कहा कि कंपनी के अस्तित्व के लिए पट्टा अवधि में यह विस्तार महत्त्वपूर्ण है क्योंकि कर्नाटक में दोणिमलै खदान केंद्र राज्य के साथ प्रीमियम भुगतान विवाद के कारण पिछले साल से परिचालन में नहीं है। एनएमडीसी के सालाना 3.3 करोड़ टन कुल उत्पादन में बैलाडिला परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ के दो केंद्रों - बचेली और किरंदुल का योगदान 2.4 करोड़ टन (वर्ष 2018-19 में) रहा है। छत्तीसगढ़ में बैलाडिला क्षेत्र की पांच खदानों में से चार खदानों की पट्टा अवधि में अब विस्तार कर दिया गया है जिनकी स्थापित क्षमता सालाना 2.9 करोड़ टन से अधिक है। इनमें से एक खदान की पट्टा अवधि में पहले ही 2017 के दौरान विस्तार किया जा चुका है।

वर्ष 2018-19 में कंपनी का कुल उत्पादन करीब 3.3 करोड़ टन था जिसमें तकरीबन 2.5 करोड़ टन दोणिमलै का उत्पादन (परिचालन अवधि के पांच महीने के दौरान) भी शामिल है जिसने विवाद के कारण उत्पादन बंद कर दिया और छत्तीसगढ़ की क्षमता बढ़ा दी गई।

एनएमडीसी को उम्मीद है कि वर्ष 2019-20 का समापन लगभग 3.3 करोड़ से 3.4 करोड़ टन उत्पादन के साथ होगा और दोणिमलै से उत्पादन न होने के बावजूद कंपनी को उत्पादन स्तर बढ़कर 3.4 से 3.5 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। अगर दोणिमलै भी शामिल हो जाती है 60 लाख टन अतिरिक्त उत्पादन होने की संभावना है और इस तरह इसका उत्पादन बढ़कर चार करोड़ टन तक पहुंच जाएगा।

इसके अलावा दोणिमलै के निकट कुमारस्वामी लौह अयस्क खदान पर भी रोक थी और इससे केवल 70 लाख टन का ही उत्पादन किया जा सकता था। अब एनएमडीसी को इस खदान से एक करोड़ टन तक उत्पादन करने के लिए भारतीय खान ब्यूरो की मंजूरी मिल गई है। विश्लेषक ने कहा कि करीब 3.25 करोड़ टन उत्पादन के साथ इसका कुल कारोबार करीब 12,000 करोड़ रुपये का है। चार करोड़ टन के साथ अगले वित्त वर्ष में कुल कारोबार वर्ष 2019-20 की पहली छमाही के दौरान प्रचलित दरों के हिसाब से बढ़कर तकरीबन 15,000 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच जाएगा।

अंतरराष्ट्रीय और घरेलू भाव

As on Dec 18	International Price	International %Chg#	Domestic Price	Domestic %Chg#
METALS ($/tonne)				
Aluminium	1,754.0	0.2	1,902.2	-4.6
Copper	6,175.0	7.5	6,453.4	3.8
Nickel	14,090.0	-18.2	14,583.6	-18.2
Lead	1,873.0	-8.8	2,226.3	7.2
Tin	17,200.0	2.1	18,176.7	-0.4
Zinc	2,297.0	-1.0	2,592.6	-1.2
Gold ($/ounce)	1,476.1*	-1.2	1,663.6	1.4
Silver ($/ounce)	17.0*	-4.3	19.4	-3.2
ENERGY				
Crude Oil ($/bbl)	67.7*	5.6	66.5	4.5
Natural Gas ($/mmBtu)	2.3*	-13.3	2.3	-11.8
AGRI COMMODITIES ($/tonne)				
Wheat	189.6	12.3	301.5	5.8
Maize	184.1*	1.8	334.2	13.3
Sugar	354.6*	10.5	490.9	0.4
Palm oil	707.5	31.6	1,124.1	28.1
Rubber	1,597.6*	1.3	1,859.9	0.4
Coffee Robusta	1,411.0*	8.4	1,874.0	-9.2
Cotton	1,468.9	12.2	1,580.6	-3.0

* As on Dec 18, 19 1800 hrs IST, # Change Over 3 Months, Conversion rate 1 USD = 71.0& 1 Ounce = 31.1032316 grams.

Notes:
1) International metals, Indian basket crude, Malaysia Palm oil, Wheat LIFFE and Coffee Karnataka robusta pertains to previous days price. 2) International metal are LME Spot prices and domestic metal are Mumbai local spot prices except for Steel. 3) International Crude oil is Brent crude and Domestic Crude oil is Indian basket. 4) International Natural gas is Nymex near month future & domestic natural gas is MCX near month futures. 5) International Wheat, White sugar & Coffee Robusta are LIFF E future prices of near month contract. 6) International Maize is MATIF near month future, Rubber is Tokyo-TOCOM near month future and Palm oil is Malaysia FOB spot price. 7) Domestic Wheat & Maize are NCDEX future prices of near month contract, Palm oil & Rubber are NCDEX spot prices. 8) Domestic Coffee is Karnataka robusta and Sugar is M30 Mumbai local spot price. 9) International cotton is Cotton no.2-NYBOT near month future & domestic cotton is MCX Future prices near month tures.

Bloomberg chartMaker — Compiled by BS Research Bureau

एमसीएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	39.9	12181
Oil and Oilseeds	274.9	79927
Spices	0.6	16
Metal(Dec 17)		
Metal- non ferrous	5200.4	60856
Metal- precious	7668.8	440
Oil and gas(Dec 17)		
Gas	2441.6	41458
Oil	11378.5	3421

एनसीडीईएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	105.3	98443
Grains	150.7	93325
Oil and Oilseeds	764.5	483815
Others	116.4	67770
Pulses	90.4	49790
Spices	78.8	30412

एमसीएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Cardamom (Jan 15)	3387.0	3.5
Crude Oil (Dec 18)	4329.0	1.3
Crude Oil Mumbai (Dec 18)	4329.0	1.3
Gold Mini (Jan 03)	37961.0	0.2
Gold (Feb 05)	37940.0	0.2
Copper (Dec 31)	443.8	0.2
Losers (* % Change)		
Natural Gas (Dec 26)	165.2	-1.7
Nickel (Dec 31)	1020.9	-1.3
Aluminium (Dec 31)	133.2	-0.6
Kapas (Apr 30)	1093.0	-0.6
Aluminium Mini (Dec 31)	133.2	-0.6
Cotton (Dec 31)	19070.0	-0.2

एनसीडीईएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
CastorSeed New-Disa (Dec 20)	4314.0	1.4
Turmeric Nizamabad (Dec 20)	6240.0	0.9
GuarGum 5T-Jodhpur (Dec 20)	7423.0	0.7
Ref Soy Oil-IDR-2016 (Dec 20)	880.6	0.3
Jeera Unjha (Jan 20)	15860.0	0.3
Chana-Bikaner (Dec 20)	4431.0	0.3
Losers (* % Change)		
Mustard Seed Rape Oil (Dec 20)	4520.0	-0.9
Coriander-Kota (Dec 20)	6897.0	-0.8
Guar Seed 10 (Dec 20)	4034.0	-0.2
CottonSeed Oil-Akola (Dec 20)	2055.0	-0.2
Shankar Kapas-Rajkot (Apr 30)	1095.5	-0.2
Soyabean Indore (Dec 20)	4254.0	0.0

एमसीएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Cardamom Vandanmedu (Jan 15)	3387.0	3.4
Cotton-Rajkot (Dec 31)	19070.0	2.0
Kapas Surendranagar (Feb 28)	1043.0	1.5
Gold Petal-Mumbai (Dec 31)	3854.0	1.2
Silver Micro-Ahemd (Feb 28)	44536.0	0.8
Silver Ahm (Mar 05)	44505.0	0.7
Discount over spot price (In %)		
Menthol Oil Chandaus (Dec 31)	1307.3	-7.6
Aluminium Mum (Dec 31)	133.2	-4.6
Alumini-Mumbai (Dec 31)	133.2	-4.5
Copper Mum (Dec 31)	443.8	-2.3
Lead Mum (Dec 31)	152.6	-1.4
Lead Min Mumbai (Dec 31)	152.7	-1.4

एनसीडीईएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Turmeric Nizamabad (Dec 20)	6240.0	3.4
Crude Palm Oil Kandl (Dec 31)	747.1	1.6
Moong-Merta City (Dec 20)	6855.0	0.5
Coriander-Kota (Dec 20)	6897.0	0.2
Paddy-Basmati-Karnal (Dec 20)	3202.0	0.1
Discount over spot price (In %)		
Jeera Unjha (Jan 20)	15860.0	-3.0
Soy Bean Indore (Dec 20)	4254.0	-2.0
Maize-Sangli (Dec 20)	2064.0	-0.9
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (Dec 20)	7423.0	-0.6
Barley Jaipur (Dec 20)	2125.5	-0.2
29 mm Cotton-Rajkot (Dec 20)	18720.0	0.0

कल का हाजिर भाव

औद्योगिक

Metals	Mumbai
Aluminium utensil scrap /kg	98 (98)
Aluminium ingots /kg	135 (135)
Brass sheet cutting /kg	320 (321)
Brass utensil scraps/kg	306 (306)
Copper heavy scrap /kg	425 (425)
Copper utensil scraps/kg	400 (400)
Copper wire bar /kg	458 (458)
Lead ingots /kg	158 (158)
Nickel Cathodes /kg	1035 (1040)
Tin slabs /kg	1290 (1280)
Zinc slabs /kg	184 (185)
Source:Bombay Metal Exchange	
Cotton	**Mumbai**
Bengal Deshi /Qtl	10742 (10742)
DCH - 32 /Qtl	11276 (11276)
Jaydhar /Qtl	10067 (10067)
Shankar- 6 /Qtl	11079 (11079)
Source:Cotton Association of India	
Oil	**Mumbai**
Castor FSG /10kg	914 (910)
Castor Comm /10kg	904 (900)
Ricebran oil/10kg	760 (760)
Groundnut oil /10kg	1120 (1090)
Linseed oil /10kg	895 (895)
Karanji /10kg	780 (780)
Palm oil /10kg	806 (808)
Sunflower exp ref /10kg	875 (868)
Sunflower oil exp /10kg	840 (825)
Soyabean ref / 10kg	870 (865)
Source:Bombay Commodity Exchange	

सॉफ्ट

Sugar	Mumbai
Mumbai M-30 /Qtl	3372-3596 (3282-3596)
Source:Bombay Sugar Merchants Association	

ऊर्जा

Crude Brent-$/Barrel	
NYSE Crude	60.55 (60.94)
Brent Crude (UK)	67.49 (67.54)
Brent Crude (WTI)	60.94 (60.94)
NYSE Natural Gas-$/Mmbtu	2.3 (2.32)
Furnace/ 180 Cst &/bbl	274.34 (272.55)
Naptha spot /Rs/MT	45170 (45170)
LSHS spot/ M.T.	36150 (36150)
Furnace Oil spot/ K.L.	33950 (33950)
Source:Petroleum Bazaar.com	

सर्राफा

Gold	Mumbai
Standard (99.50 Purity) /10 gms	37959 (37959)
Pure (99.90 Purity) /10 gms	38112 (38112)
Silver.999/ kg	44200 (44275)
Source:India Bullion & Jewellers Association	

@SPOT PRICE(MCX, NCDEX & ICEX)

Commodity	Unit	PClose	Price (₹.) Close
29 mm Cotton-Rajkot (N)	1 B	18701.55	18727.10
Alumini-Mumbai (M)	1 K	137.15	139.50
Bajra-Delhi (N)	1 Q	2050.00	2050.00
Barley Jaipur (N)	1 Q	2124.25	2130.00
Brass-Jamnagar (M)	1 K	312.90	317.30
Cardamom-Vand. (I)	1 K	3067.00	3300.00
Castor Seed Disa (N)	1 Q	4344.00	4394.15
Castor Seed-Kadi (N)	X	4300.00	4325.00
Chana Bikaner (N)	1 Q	4326.25	4350.00
Chana Delhi (N)	1 Q	4514.05	4538.05
Chana-Akola (N)	X	4400.00	4380.00
Coriander-Gondal (N)	X	6700.00	6600.00
Coriander-Jaipur (N)	X	7013.75	6900.00
Coriander-Kota (N)	1 Q	6973.25	6885.40
Cotton Seed Oilck Ak (N)	1 Q	2103.00	2100.00
Cotton Seed Oilck Ka (N)	1 Q	2089.30	2088.90
Cotton-Kadi (N)	1 B	18644.55	18611.70
CPO-Kandla (M)	10 K	735.20	729.80
Crude Palm Oil Kandl (N)	10 K	745.45	735.35
Diamond 0.3 - Surat (I)	1 CT	884.00	884.35
Diamond 0.5-Surat (I)	1 CT	1529.50	1534.30
Diamond 1-Surat (I)	1 CT	3435.60	3440.20
Gold Ahm (M)	10 G	37936.00	37955.00
Gold Guinea-Ahmedaba (M)	8 G	30471.00	30486.00
Gold Petal-Mumbai (M)	1 G	3806.00	3810.00
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (N)	X	7431.25	7470.00
Guar Seed 10 MT-Jodh (N)	1 Q	4025.40	4034.60
Guarseed-Jodhpur (I)	1 Q	4025.00	3993.00
Gur Muzaffar Nagar (N)	40 K	1192.35	1188.65
Isabgulseed-Unjha (I)	1 K	94.10	94.10
Jeera Jodhpur-Jodhpu (N)	X	16850.00	16800.00
Jeera Unjha (N)	1 Q	16354.55	16354.55
Kapas Kadi-Kadi (N)	X	1032.90	1031.45
Kapas-Rajkot (N)	X	1028.60	1028.85
Lead Mum (M)	1 K	153.00	154.80
Maize Kharif-Nizamab (N)	X	2060.00	2060.00
Maize Rabi-Gulabbagh (N)	1	2370.00	2363.95
Maize-Erode (N)	X	2086.80	2077.10
Maize-Feed/Ind-Delhi (N)	1 Q	2250.00	2250.00
Maize-Sangli (N)	X	2062.75	2083.35
Moong-Merta City (N)	1 Q	6851.55	6822.20
Mustardseed Alwar (N)	20 K	4746.00	4733.15
Nickel Mumbai (M)	1 K	1045.60	1033.20
Paddy-Basmati-Karnal (I)	1 Q	3180.00	3135.00
Paddy-Basmati-Karnal (N)	X	3200.00	3200.00
Pepper-Ernakulam (I)	1 K	354.40	355.00
Pepper-Kochi (N)	1 Q	35666.65	35775.00
Rape mustards-Patan (I)	20 K	820.00	822.00
Rapeseed Must.Seed (N)	X	2043.15	2044.40
RBD Palm Olein Kakin (N)	10 K	804.00	797.75
Ref Soya Oil Indore (N)	10 K	875.00	879.95
Ref Soya Oil Mum (N)	10 K	869.05	870.00
Ref Soya Oil Nagpur (N)	10 K	885.00	892.50
Rubber-Kochi (N)	1 Q	13200.00	13200.00
Rubber-Kochi/Ernak. (I)	1 Q	13258.00	13200.00
Silver M-Ahemdabad (M)	1 K	44199.00	44183.00
Soy Bean Indore (N)	1 Q	4328.00	4339.00
Soy Bean Kota (N)	1 Q	4242.00	4242.00
Soy Bean Nagpur (N)	1 Q	4380.90	4343.00
Soy Bean-Akola (N)	X	4343.00	4330.00
Soymeal Indore (N)	1 T	35000.00	35240.00
Soyoil-Indore (I)	10 K	873.80	881.00
Steel Long-Ghaziabad (I)	1 T	28090.00	28270.00
Steel Long-MGG (I)	1 T	29090.00	29200.00
Steel Long-Raipur (I)	1 T	26270.00	26530.00
Sugar M Delhi (N)	1 Q	3245.00	3245.00
Sugar M Grade-Kanpur (N)	1 Q	3302.85	3314.30
Sugar M Grade-Kolhap (N)	1 Q	3275.90	3271.65
Sugar M Kolkatta (N)	1 Q	3435.70	3428.55
Sugar M Muzaff (N)	1 Q	3250.00	3261.90
Sugar S-Kolhapur (N)	1 Q	3130.00	3134.50
Turmeric Nizamabad (N)	1 Q	6029.15	6036.35
Wheat Delhi (N)	1 Q	2268.15	2266.65
Wheat Kota (N)	1 Q	2138.15	2150.00
Wheat New Indore (N)	1 Q	2212.50	2235.00
Wheat New Kanpur (N)	1 Q	2085.00	2085.00
Wheat New-Rajkot (N)	1 Q	2190.00	2185.00
Yellow Peas Mum (N)	1 Q	4887.30	4937.25
Zinc Mumbai (M)	1 K	184.25	184.35

* as on Dec 17, 19

(M) MCX ,(N) NCDEX & (I) ICEX Spot prices

जिंस वायदा

DAY SESSION

दिवस सत्र (बुधवार)

कृषि जिंस

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Cotton				
Cotton MCX(1 B)				
Dec 31	19140, 19150, 19000, 19070	1930	340	6901
Jan 31	19350, 19360, 19240, 19280	1492	260	4371
Feb 28	19430, 19430, 19430, 19430	04	1	332
CottonSeed Oil-Akola NCDEX(1 Q)				
Dec 20	2060, 2060, 2050, 2055	60	6	3260
Jan 20	2067, 2079, 2049, 2060	31320	1834	58240
Feb 20	2086, 2097, 2072, 2082	8550	512	29620
Mar 20	2105, 2113, 2095, 2104	290	29	3100
Apr 20	2130, 2130, 2130, 2130	30	3	130
Kapas MCX(20 K)				
Apr 30	1099, 1100, 1091, 1093	240	56	544
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	1098.5, 1100, 1091, 1095.5	1005	547	4093
Grains				
Guar Seed 10 NCDEX(1 Qtl)				
Dec 20	-, 4034, -, 4034	10	1	1155
Jan 20	4090, 4122, 4060, 4090	30685	3672	81520
Feb 20	4128, 4164, 4106, 4136	6055	681	8740
Oil and Oilseeds				
CastorSeed New-Disa NCDEX(1 Qtl)				
Dec 20	4286, 4318, 4286, 4314	855	45	2215
Jan 20	4296, 4360, 4280, 4348	6990	630	30230
Feb 20	4348, 4370, 4320, 4348	590	67	4420
Mar 20	4300, 4360, 4300, 4354	725	82	4935
Apr 20	4300, 4326, 4300, 4326	25	5	45
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Dec 31	735, 737.9, 725.9, 729.8	10830	885	24600
Jan 31	735.5, 739.2, 728.4, 732.5	20390	1384	48330
Feb 28	732.2, 738.5, 728.5, 733	3860	298	6640
Mentha Oil MCX(1 K)				
Dec 31	1311, 1311.1, 1303.3, 1307.3	113.04	259	259.56
Jan 31	1321.1, 1321.1, 1312.3, 1315.4	25.2	65	96.84
Mustard Seed Rape Oil NCDEX(1 Q)				
Dec 20	4680, 4680, 4520, 4520	130	13	70
Jan 20	4562, 4582, 4527, 4549	17270	1180	18520
Feb 20	4503, 4530, 4485, 4505	240	21	1570
Apr 20	4410, 4458, 4410, 4451	3370	254	4660
May 20	4407, 4429, 4407, 4429	40	4	50
Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)				
Dec 20	878.8, 881.6, 877.8, 880.6	710	60	6605
Jan 20	888, 891.8, 881.6, 886	30370	3414	49220
Feb 20	874.4, 883.8, 873, 879.4	7435	761	30460
Mar 20	868.2, 873, 868.2, 872.4	140	19	535
Soyabean Indore NCDEX(1 Q)				
Dec 20	4272, 4274, 4250, 4254	800	79	770
Jan 20	4308, 4328, 4262, 4294	47980	5610	164075
Feb 20	4336, 4364, 4294, 4324	15525	2253	124620
Mar 20	4362, 4398, 4334, 4364	1815	288	38040
Apr 20	4414, 4428, 4374, 4408	675	110	2775
Others				
GuarGum 5T-Jodhpur NCDEX(1 Qtl)				
Dec 20	7340, 7424, 7340, 7423	80	10	480
Jan 20	7402, 7490, 7377, 7409	11695	1729	58805
Feb 20	7500, 7587, 7473, 7519	3840	474	8375
Pulses				
Chana-Bikaner NCDEX(1 Qtl)				
Dec 20	4440, 4440, 4410, 4431	230	13	1610
Jan 20	4423, 4448, 4411, 4421	18140	1379	43850
Mar 20	4379, 4393, 4361, 4368	2010	155	3700
Apr 20	4350, 4374, 4350, 4350	30	3	560
May 20	4350, 4350, 4350, 4350	10	1	20
Spices				
Cardamom MCX(1 K)				
Jan 15	3348.9, 3402.7, 3348.9, 3387	1.2	12	12.1
Feb 14	3140, 3238, 3140, 3195.1	0.6	6	3.5
Coriander-Kota NCDEX(1 Q)				
Dec 20	6900, 6946, 6858, 6897	570	40	2960
Jan 20	6470, 6479, 6315, 6354	2750	263	9210
Apr 20	6838, 6840, 6725, 6775	880	86	4660
Jeera Unjha NCDEX(1 Q)				
Jan 20	15800, 15890, 15730, 15860	615	163	2598
Mar 20	15600, 15600, 15515, 15565	72	24	288
Apr 20	15450, 15450, 15450, 15450	3	1	36
Turmeric Nizamabad NCDEX(1 Q)				
Dec 20	6060, 6240, 6060, 6240	1870	63	845
Mar 20	6182, 6310, 6134, 6264	3930	433	7110
Apr 20	6014, 6170, 6002, 6112	700	134	2690

धातु

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Metal- non ferrous				
Aluminium MCX(1 K)				
Dec 31	133.3, 133.8, 133.3, 133.5	3080	500	8055
Aluminium Mini MCX(1 K)				
Dec 31	133.35, 133.75, 133.35, 133.5	1237	1029	2934
Jan 31	134.15, 134.35, 133.95, 134.1	238	143	1021
Copper MCX(1 K)				
Dec 31	443.6, 443.6, 441.35, 441.8	12957.5	4298	14542.5
Jan 31	448.1, 448.1, 446.4, 446.9	630	233	2720
Feb 28	451.35, 451.35, 451.35, 451.35	10	4	57.5
Lead MCX(1 K)				
Dec 31	152.4, 152.9, 152.4, 152.55	4140	629	5895
Lead Mini MCX(1 K)				
Dec 31	152.65, 152.95, 152.6, 152.65	1380	1178	2317
Jan 31	152.15, 152.3, 152.1, 152.15	144	109	1735
Nickel MCX(1 K)				
Dec 31	1020, 1021, 1009, 1011.1	10960.5	6418	2704.5

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Jan 31	1014, 1014.7, 1006.9, 1008.2	234	153	397.5
Zinc MCX(1 K)				
Dec 31	183.6, 184.5, 182.8, 183.1	12835	2074	14735
Zinc Mini MCX(1 K)				
Dec 31	183, 183.8, 182.55, 182.85	4299	3229	5737
Jan 31	181.3, 181.95, 181, 181.55	1188	724	8004
Feb 28	181.5, 181.5, 181.3, 181.4	2	2	26
Metal- precious				
Gold MCX(10 G)				
Feb 05	37959, 37995, 37928, 37975	3.33	2762	16.15
Apr 03	38015, 38059, 38003, 38045	0.32	232	3.52
Gold Guinea MCX(8 G)				
Dec 31	30512, 30544, 30512, 30541	0	52	0
Jan 31	30459, 30479, 30406, 30470	0	43	0
Gold Mini MCX(10 G)				
Jan 03	37937, 37994, 37937, 37978	0.32	2632	0.86
Feb 05	37950, 37996, 37943, 37972	0.08	621	0.3
Mar 05	37906, 38003, 37906, 38003	0	19	0.01
Gold Petal MCX(1 Gm)				
Dec 31	3854, 3857, 3852, 3856	0	325	0.01
Jan 31	3839, 3845, 3838, 3841	0	69	0
Feb 28	3839, 3839, 3839, 3839	0	1	0
Silver MCX(1 K)				
Mar 05	44447, 44589, 44434, 44554	141.54	3898	364.2
May 05	44979, 45056, 44960, 45039	0.54	18	6.21
Silver Micro MCX(1 K)				
Feb 28	44480, 44606, 44453, 44567	10.81	7323	29.49
Apr 30	44954, 45065, 44946, 45047	0.47	357	1.86
Silver Mini MCX(1 K)				
Feb 28	44351, 44600, 44351, 44568	35.54	5652	51.92
Apr 30	44988, 45067, 44958, 45037	0.68	111	2.11

तेल एवं गैस

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Gas				
Natural Gas MCX(1 MB)				
Dec 26	165.5, 165.8, 163.1, 163.8	42685mb	18386	31230mb
Jan 28	164.5, 165.6, 163.2, 163.8	4279mb	2030	14011mb
Feb 25	161.8, 162.1, 160.2, 160.6	483mb	338	3686mb
Oil				
Crude Oil MCX(1 BL)				
Dec 18	4317, 4317, 4285, 4300	5528bl	27821	2768bl
Jan 17	4319, 4319, 4290, 4302	1319bl	8144	1486bl
Feb 19	4305, 4308, 4287, 4297	28bl	199	23bl
Crude Oil Mumbai MCX(1 Bl)				
Dec 18	4312, 4313, 4285, 4300	1120bl	46020	578bl

सायं सत्र (मंगलवार)

कृषि जिंस

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Cotton				
Cotton MCX(1 B)				
Dec 31	19180, 19210, 19100, 19170	2840	452	6705
Jan 31	19380, 19400, 19320, 19370	1628	272	4315
Feb 28	19500, 19520, 19500, 19510	21	5	336
Kapas MCX(20 K)				
Apr 30	1100, 1100.5, 1097, 1099.5	232	38	648
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	1102, 1103, 1097, 1100	1009	417	4288
Oil and Oilseeds				
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Dec 31	738.9, 740.5, 730.3, 737.2	14550	1061	23370
Jan 31	739.5, 742, 731.6, 738.6	21830	1314	45790
Feb 28	739, 741, 730, 737.3	3970	265	5400
Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)				
Dec 20	876.4, 880.4, 873, 879.6	2045	203	7120
Jan 20	881, 889.2, 880.8, 888.6	30465	3322	49190
Feb 20	874, 879, 872.4, 878.6	9015	820	31855
Mar 20	868, 870, 866.6, 870	495	45	515

धातु

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Metal- non ferrous				
Aluminium MCX(1 K)				
Dec 31	133.9, 134.35, 133.05, 133.15	10475	1702	7320
Aluminium Mini MCX(1 K)				
Dec 31	133.9, 134.35, 133.05, 133.2	3995	3161	2691
Jan 31	134.1, 134.75, 133.7, 133.8	499	414	852
Feb 28	134.4, 134.4, 134.4, 134.4	1	1	1
Copper MCX(1 K)				
Dec 31	442.6, 444.4, 442.35, 443.75	23805	8040	12927.5
Jan 31	447.6, 449.2, 447.5, 449	1407.5	518	2647.5
Lead MCX(1 K)				
Dec 31	152.5, 153.1, 152.3, 152.6	19200	3016	4360
Lead Mini MCX(1 K)				
Dec 31	152.5, 153.1, 152.4, 152.65	5712	4450	1916
Jan 31	152, 152.4, 151.9, 152.1	504	429	1667
Nickel MCX(1 K)				
Dec 31	1032.6, 1038.6, 1018.2, 1020.9	22078.5	13150	1476
Jan 31	1032.6, 1034.5, 1015, 1016.4	585	380	369
Zinc MCX(1 K)				
Dec 31	182.6, 183.9, 182.35, 182.6	45615	7408	11810
Zinc Mini MCX(1 K)				
Dec 31	182.35, 183.6, 182.15, 182.45	14340	10831	4865
Jan 31	179.6, 181.95, 179.6, 180.85	3363	2072	7872
Metal- precious				
Gold MCX(10 G)				
Feb 05	37869, 37980, 37845, 37940	10.38	8638	15.42
Apr 03	37936, 38044, 37899, 38002	0.32	244	3.32
Gold Guinea MCX(8 G)				
Dec 31	30491, 30550, 30491, 30512	0	161	0
Jan 31	30430, 30500, 30403, 30466	0	66	0
Gold Mini MCX(10 G)				
Jan 03	37863, 37987, 37850, 37961	1.2	10056	0.77
Feb 05	37863, 37988, 37855, 37951	0.24	2108	0.28
Mar 05	37951, 38015, 37930, 37981	0.01	58	0.01
Gold Petal MCX(1 Gm)				
Dec 31	3853, 3857, 3851, 3854	0	707	0.01
Jan 31	3838, 3845, 3836, 3838	0	308	0
Feb 28	3839, 3839, 3838, 3839	0	2	0
Mar 31	3800, 3848, 3800, 3824	0	2	0
Silver MCX(1 K)				
Mar 05	44444, 44642, 44351, 44505	494.01	13645	339.63
May 05	45058, 45094, 44833, 44958	1.35	45	6.09
Silver Micro MCX(1 K)				
Feb 28	44474, 44663, 44387, 44536	39.48	27693	27.25
Apr 30	44990, 45125, 44862, 44999	1.77	1259	1.77
Silver Mini MCX(1 K)				
Feb 28	44517, 44668, 44375, 44535	149.72	23290	43.7
Apr 30	44948, 45120, 44874, 44988	1.39	256	2.11

तेल एवं गैस

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Gas				
Natural Gas MCX(1 MB)				
Dec 26	167.6, 167.6, 162.5, 165.2	136478mb	60055	24960mb
Jan 28	166.7, 167.2, 162.6, 164.9	10000mb	5664	13023mb
Feb 25	163.8, 163.8, 159.6, 162.1	1480mb	1086	3475mb
Oil				
Crude Oil MCX(1 BL)				
Dec 18	4263, 4337, 4256, 4329	19602bl	100731	1772bl
Jan 17	4271, 4337, 4263, 4332	2582bl	14590	1214bl
Feb 19	4288, 4339, 4265, 4330	17bl	118	7bl
Crude Oil Mumbai MCX(1 Bl)				
Dec 18	4267, 4337, 4256, 4329	4279bl	167840	428bl

g-grams, k-kilograms, q-quintals, t-tonnes, b-bales,bl-barels,mb-mmBTU,m-Mnd; Quantity & Open interest in tonnes except for crude oil and natural gas; For Gas is '000 mmBTU & for crudeoil in '000 barrel; Market price in ₹.

नया नागरिकता कानून पड़ोसी देशों के हिंदुओं को कैसे करेगा आकर्षित ?

पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं बांग्लादेश में रहने वाले लाखों हिंदुओं को निश्चित तौर पर भारत आकर्षित कर सकता है लेकिन यहां पर भेदभाव की आशंका, मामले को और जटिल बना सकती है

सोमवार को गुवाहाटी में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सत्याग्रह रैली में हिस्सा लेते ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन की छात्राएं फोटोः पीटीआई

साई मनीष

हाल में संसद से पारित होकर कानून बन चुके नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) ने बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रहने वाले 1.6 करोड़ हिंदुओं के लिए परिवार के साथ भारत आने और यहां की नागरिकता लेने का मौका मुहैया करा दिया है।

सीएए कानून में नागरिकता पाने के लिए 31 दिसंबर, 2014 को कटऑफ तारीख बताया गया है लेकिन कुछ नेताओं ने कहा है कि इस तारीख के बाद भारत आने वाले गैर-मुस्लिम भी नागरिकता पाने के योग्य हो सकते हैं। इसकी वजह यह है कि यह कानून भारत में घुसने की तारीख साबित करने के लिए कोई भी कागजात नहीं मांगता है।

वाशिंगटन डीसी स्थित प्यू रिसर्च सेंटर का अनुमान है कि बांग्लादेश की जनसंख्या में हिंदुओं का अनुपात नौ फीसदी के मौजूदा स्तर से गिरकर वर्ष 2050 तक सात फीसदी हो जाएगा। वहीं पाकिस्तान में करीब दो फीसदी आबादी वाले हिंदुओं की संख्या 2050 तक कमोबेश बरकरार रहने की संभावना है, चाहे मुस्लिमों का अनुपात बढ़ जाए। हालांकि उस समय तक दुनिया में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाले देश के तौर पर भारत इंडोनेशिया से आगे निकल जाएगा। प्यू का आकलन है कि भारत की जनसंख्या में मुस्लिमों का अनुपात 14 फीसदी के मौजूदा स्तर से बढ़कर 2050 तक 18 फीसदी हो जाएगा जबकि हिंदुओं की आबादी 80 फीसदी से घटकर 77 फीसदी हो जाएगी।

भारत सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2011 के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए 25,447 हिंदुओं को धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होने के आधार पर लंबी अवधि के वीजा दिए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद को बताया कि इन तीनों देशों से आकर भारत में रह रहे हिंदुओं की असली संख्या लाखों में हो सकती है और नया कानून लागू होने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा।

सवाल है कि इन हिंदुओं को बेहतर जीवन की आस में अपना जन्मस्थान छोड़कर भारत की तरफ कदम बढ़ाने के लिए कौन सी बात प्रोत्साहित करती है?

लंदन स्थित अधिकार संगठन माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप की तरफ से 2014 में जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के हिंदुओं को न सिर्फ संदेह बल्कि भेदभाव एवं धार्मिक प्रताड़ना के भी आधार पर निशाना बनाया जाता था। उस रिपोर्ट में पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं एवं अन्य अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले भेदभाव और प्रताड़ना के विभिन्न रूपों का जिक्र था। उस रिपोर्ट के मुताबिक, 'शहरों में रहने वाले हिंदुओं एवं ईसाइयों को अक्सर निचले दर्जे के समझे जाने वाले साफ-सफाई के काम करने पड़ते हैं। सामाजिक कलंक लगने से उन्हें आर्थिक रूप से हाशिये पर डाल दिया जाता है जिससे वे जिंदा रहने के लिए जरूरी बुनियादी चीज भी नहीं हासिल कर पाते हैं। कुछ ग्रामीण इलाकों में तो सामंती सत्ता संरचना की वजह से हालात और खराब हैं। मसलन, सिंध में ही कई हिंदू महिलाएं अपने मालिकों के लिए गुलामों जैसी स्थितियों में बंधुआ मजदूरों की तरह काम करती हैं।'

कमजोर सामाजिक-आर्थिक हालात के अलावा इन देशों में रहने वाले हिंदुओं का अपना धर्म मानने का अधिकार भी संकट में रहता है। इस रिपोर्ट में ऑल पाकिस्तान हिंदू राइट्स मूवमेंट के एक सर्वेक्षण का जिक्र करते हुए कहा गया है कि पाकिस्तान में मौजूद 428 मंदिरों में से केवल 20 मंदिरों में ही पूजा-पाठ होता है। हिंदुओं के 95 फीसदी से भी अधिक मंदिरों को ईटीपीबी ने वाणिज्यिक या रिहायशी मकसद से पट्टे पर दिया हुआ है। हिंदू एवं सिख विस्थापितों की छोड़ी हुई संपत्ति की देखभाल के लिए ईटीपीबी का गठन किया गया था।

वर्ष 2017 में पाकिस्तान की संसद ने एक विधेयक पारित किया था जिसमें पहली बार हिंदू शादियों को मान्यता दी गई थी। लेकिन इस विधेयक के ही एक प्रावधान में जिक्र है कि अगर पति-पत्नी में से कोई भी दूसरा धर्म अपना लेता है तो हिंदू विवाह खत्म मान लिया जाएगा। इस प्रावधान ने हिंदुओं के जबरन धर्मांतरण का डर बढ़ा दिया था। पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग की नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2018 में सिंध प्रांत में हिंदू और ईसाई धर्म की महिलाओं के एक हजार से भी अधिक मामले सामने आए थे।

> गृह मंत्री अमित शाह ने संसद को बताया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आकर भारत में रह रहे हिंदुओं की असली संख्या लाखों में हो सकती है और नया कानून लागू होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा

पाकिस्तान में हिंदुओं की सबसे अधिक आबादी सिंध प्रांत में है। रिपोर्ट में कहा गया है, 'अनिश्चितता और असुरक्षा की भावना यहां के हिंदू समुदाय को घेरे हुए है। हिंदू महिलाओं खासकर निचली जातियों की नाबालिग लड़कियों के जबरन धर्मांतरण की खबरें लगातार सामने आती हैं। हिंदू लड़कियों को अगवा कर उन्हें जबरन इस्लाम धर्म कबूल कराया जाता है और फिर मुस्लिम पुरुषों से उनकी शादी करा दी जाती है। इस तरह की जबरन शादियों के प्रति पाकिस्तान राज्य की प्रतिक्रिया मिली-जुली रही है। अधिकांश मामलों में पुलिस अगर भागीदार नहीं तो असंवेदनशील और उदासीन जरूर रहती है।'

हिंदू और दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय आर्थिक रूप से भी संघर्ष कर रहे हैं। पाकिस्तान में पांच फीसदी सरकारी नौकरियां अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित हैं लेकिन वास्तव में केवल 2.8 फीसदी नौकरियां ही गैर-मुस्लिमों को हासिल हैं। इनमें भी अधिकांश नौकरियां निचले दर्जे की हैं। पाकिस्तान में शिक्षा व्यवस्था भी अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों के प्रति असहज बनी रहती है।

वर्ष 2017 में पाकिस्तान के दौरे पर जाने वाले ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल ने कहा था, 'पाकिस्तान के स्कूलों में इतिहास, भूगोल और इस्लामी अध्ययन की कक्षाओं में मौलिक विषयवस्तु यह होती है कि पाकिस्तान देश का निर्माण केवल मुस्लिमों के लिए हुआ है और मुस्लिमों के खिलाफ हिंदुओं के वैमनस्य की प्रतिक्रिया ने इसके लिए बाध्य किया था। स्कूलों में पढ़ाई के दौरान हिंदुओं को हमेशा ही पाकिस्तान के दुश्मन के तौर पर पेश किया जाता है और अक्सर उन्हें चालाक, राजनीतिक रूप से धूर्त और साजिश रचने वाले इंसान बताया जाता है। कई मौकों पर स्कूली पाठ्यपुस्तकें ऐतिहासिक तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने के साथ धार्मिक घृणा की वकालत भी करती हैं। मसलन, अक्सर कहा जाता है कि हिंदू इस्लाम एवं पाकिस्तान के खिलाफ हैं और 1971 में पाकिस्तान का बंटवारा हिंदू साजिश का ही नतीजा था।'

जहां पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं एवं अन्य अल्पसंख्यकों के लिए प्रतिशोध एवं प्रताड़ना सबसे बड़े खतरे बने हुए हैं वहीं बांग्लादेश के हिंदू आर्थिक एवं राजनीतिक कारणों से देश छोड़ते रहे हैं। बांग्लादेश बनने के बाद से ही हिंदुओं के बाहर जाने के लिए काफी हद तक धार्मिक उत्पीड़न को जिम्मेदार बताया जाता है लेकिन समय बीतने के साथ धार्मिक तनाव कम होने और देश की अर्थव्यवस्था का उदारीकरण होने से हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश की बढ़ती अर्थव्यवस्था और भारत की सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था भारत जाने वाले हिंदुओं के आव्रजन की प्रवृत्ति बदल सकती है।

वर्ष 2011 के बाद बांग्लादेश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि छह फीसदी के स्तर से नीचे नहीं आई है। जहां एशियाई विकास बैंक ने वर्ष 2019-20 में भारत की जीडीपी वृद्धि 5.1 फीसदी रहने का अनुमान जताया है वहीं बांग्लादेश की वृद्धि दर 8.1 फीसदी रहने का अनुमान है। जिस तरह की आर्थिक वृद्धि देखी जा रही है उसमें बांग्लादेश का एक औसत व्यक्ति आने वाले समय में किसी भारतीय व्यक्ति की तुलना में अधिक समृद्ध हो सकता है।

ऑस्ट्रेलिया की डीकिन यूनिवर्सिटी के लिए अर्थशास्त्रियों ख्वाजा मामून और सलमा अहमद ने 2017 के एक अध्ययन में यह पाया कि आर्थिक प्रगति के रास्ते पर बढ़ रहे बांग्लादेश में हिंदुओं की आर्थिक संभावना काफी अच्छी है। अध्ययन में कहा गया, 'भले ही हिंदू अल्पसंख्यकों की बांग्लादेशी अर्थव्यवस्था में रोजगार पदानुक्रम बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी से नीचे है लेकिन शैक्षणिक स्तर एवं प्रशिक्षण के संदर्भ में वे उतना ही अच्छा या उससे भी बेहतर स्थिति में हैं। इसकी एक व्याख्या यह हो सकती है कि समय बीतने के साथ हिंदुओं ने संपत्ति छिन जाने की आशंका से बचने के लिए मानव पूंजी के सृजन की तरफ प्रेरित किया है। मानव पूंजी अधिग्रहण में हिंदुओं की सापेक्षिक सफलता उन्हें श्रम बाजार में घुलने-मिलने का मौका देगी जिससे वे मुस्लिमों के साथ अपने वेतन फासले को कम कर सकेंगे।'

उस अध्ययन में इस बात का भी जिक्र था कि हिंदुओं के अधिक शिक्षित होने से उनकी रोजगार पाने की दर मुस्लिमों की तुलना में बढ़ गई। बांग्लादेश में मुस्लिम अब उस तरह के रोजगार में अधिक लगे हैं जिनमें कम शैक्षणिक योग्यता एवं कौशल की जरूरत होती है। मुस्लिमों एवं हिंदुओं की प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के बावजूद आय बढ़त अधिकतर हिंदुओं की है। लेकिन हिंदुओं की सामाजिक स्थिति बहुसंख्यक समुदाय से बेहतर नहीं है। बेल्जियम स्थित अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या अध्ययन संघ ने एक अध्ययन में कहा था कि हिंदुओं की जीवन प्रत्याशा कम है, मृत्यु दर अधिक है और उनकी प्रजनन दर भी मुस्लिमों से कम है।

इस तरह के हालात में भारत आर्थिक रूप से अस्थिर पाकिस्तान में धार्मिक प्रताड़ना झेल रहे हिंदुओं के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन सकता है। वर्ष 2018-19 में पाकिस्तान की वृद्धि दर 5.2 फीसदी थी और वह अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष से मिलने वाले अनुदान और सऊदी अरब एवं चीन से मिलने वाले निवेश एवं मदद पर बुरी तरह आश्रित है।

लेकिन बांग्लादेश से निकलने की इच्छा रखने वाले हिंदुओं की नजर में भारत बहुत आकर्षक विकल्प नहीं होगा। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश कुशल एवं शिक्षित प्रवासियों के लिए कहीं अधिक आकर्षक विकल्प हैं। इसकी एक वजह भारत में फैला नस्लवाद भी है। भारत में रहने वाले अफ्रीकी नागरिकों पर हमले, पूर्वोत्तर भारत के लोगों पर कसी जाने वाली फब्तियों और गहरी रंगत वाले लोगों पर की जाने वाली जातिवादी टिप्पणियों के रूप में यह चारों तरफ नजर आता है। भारतीय नेताओं ने भी राजनीतिक मकसद के लिए विदेशी का मुद्दा हमेशा गर्म बनाए रखा। पत्रकार एवं लेखक आतिश तासीर का ओवरसीज सिटिजन कार्ड निरस्त करना इसकी एक बानगी है।

आजादी के समय पाकिस्तान से आकर बसने वाले सिखों को अब भी पंजाब में कुछ लोग अलग नजर से देखते हैं। यह कुछ वैसा ही है जैसे भारत से पाकिस्तान जाकर बसने वाले 'मुहाजिरों' के बारे में है।

इसके साथ जातिगत भेदभाव को भी जोड़ लें तो भारत आकर बसने वाले किसी भी हिंदू के लिए नागरिकता के अलावा भी बहुत कुछ की जरूरत पड़ेगी।

नागरिकता मामले में अगली सुनवाई 22 जनवरी को

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को संशोधित नागरिकता कानून की संवैधानिक वैधता जांचने का फैसला किया लेकिन उसने इस कानून को अमलीजामा पहनाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। संशोधित नागरिकता कानून में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत के पीठ ने इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कांग्रेस के नेता जयराम रमेश और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) की याचिकाओं सहित 59 याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया। पीठ इस मामले में अब अगले साल 22 जनवरी को सुनवाई करेगा।

कानून के बारे में जागरुकता जरूरी

पीठ अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की इस दलील से भी सहमत हुआ कि आम जनता को इस कानून के उद्देश्यों और विवरण से अवगत कराया जाना चाहिए। पीठ ने केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल से कहा कि इस कानून के प्रावधानों के बारे में जनता को जागरूक बनाने के लिए ऑडियो-वीडियो माध्यम का इस्तेमाल करने पर विचार करें। वेणुगोपाल ने इस सुझाव से सहमति व्यक्त की और कहा कि सरकार इस संबंध में आवश्यक कदम उठाएगी। इन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कुछ याचियों के अधिवक्ताओं ने नए कानून के क्रियान्वयन पर रोक लगाने का अनुरोध किया। अटॉर्नी जनरल ने इसका विरोध किया और कहा कि कम से कम चार ऐसे फैसले हैं जिनमें यह कहा गया है कि कानून की अधिसूचना जारी होने के बाद उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। पीठ ने कहा कि वह इस पर रोक नहीं लगा रहा है। इस कानून पर रोक लगाने के बारे में सुनवाई की अगली तारीख 22 जनवरी को दलीलें दी जा सकती हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में हिंसा की घटना की जांच तथ्य अन्वेषण समिति से करवाने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने के लिए बुधवार को सहमत हो गया। याचिका में इस कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों द्वारा कथित तौर पर हिरासत में लिए गए जामिया विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के छात्रों और निवासियों की रिहाई के आदेश दिए जाने का अनुरोध किया गया है।

मुसलमानों को खतरा नहीं

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बुधवार को कहा कि संशोधित नागरिकता कानून से किसी मुस्लिम या किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता पर कोई प्रश्नचिह्न या खतरा नहीं है और इस विषय पर सभी को दुष्प्रचार से सावधान रहना चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने आरोप लगाया कि जामिया और एएमयू में हुई घटनाओं के पीछे कांग्रेस थी। उन्होंने यह भी कहा कि विवादित कानून मुस्लिम विरोधी नही है और किसी भी मुसलमान को भारत से बाहर नहीं किया जाएगा। *एजेंसियां*

'आग बुझाएं अमित शाह'

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संशोधित नागरिकता कानून को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने देश को जलता हुआ छोड़ दिया है और उन्हें ही आग बुझानी होगी। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता ने कहा कि अगर शाह के मुताबिक आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है तो इसे कल्याणकारी योजनाओं और बैंकिंग व्यवस्था से क्यों जोड़ा गया?

संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ कोलकाता में हावड़ा मैदान से एस्प्लैनेड तक विरोध मार्च का नेतृत्व करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा, 'मैं अमित शाह से अनुरोध करती हूं कि देश नहीं जले। आपका काम आग बुझाना है।' ममता ने शाह से देश का ध्यान रखने और भाजपा कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करने की भी अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास' नारे पर कटाक्ष करते हुए बनर्जी ने कहा कि भाजपा सरकार ने देश में सबका सत्यानाश कर दिया है। उन्होंने कहा, 'वे पूरे देश को हिरासत केंद्र में बदलना चाहते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे।' ममता ने फिर दोहराया कि वह पश्चिम बंगाल में नया नागरिकता कानून और एनआरसी लागू नहीं होने देंगी।

हिंसा से संयुक्त राष्ट्र चिंतित

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंतोनियो गुटारेस ने भारत में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शनों में हुई हिंसा और सुरक्षाकर्मियों के कथित तौर पर अत्यधिक बल का इस्तेमाल करने पर चिंता जाहिर करते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का सम्मान करने की अपील की।

गुटारेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा, 'हम संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ जारी प्रदर्शनों में हो रही हिंसा और सुरक्षा बलों के कथित तौर पर बलप्रयोग को लेकर चिंतित हैं। हम संयम बरतने और अभिव्यक्ति एवं राय रखने की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण रूप से एकत्र होने के अधिकारों के पूर्ण सम्मान का आग्रह करते हैं।' दुजारिक ने कहा कि वह कानून पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की उच्चायुक्त मिशेल बैचलेट की टिप्पणियों का भी उल्लेख करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की उच्चायुक्त की प्रवक्ता ने जिनेवा में कहा था कि यह चिंता की बात है कि यह कानून भेदभावपूर्ण है। वहीं भारत का कहना है कि यह कानून धार्मिक प्रताड़ना के कारण पहले से भारत में रह रहे विभिन्न देश के लोगों को भारतीय नागरिकता तेजी से दी जाएगी।

विदेश मंत्रालय ने कहा, 'यह उनकी मौजूदा दिक्कतों का समाधान और उन्हें मूलभूत मानवाधिकार देने की बात करता है। ऐसी पहल का स्वागत होना चाहिए, धार्मिक स्वतंत्रता के लिए असल में प्रतिबद्ध लोगों को इसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए।' *भाषा*

नागरिकता मामले पर आईआईटी-आईआईएम की चुप्पी

बीएस संवाददाता

जब आप बेंगलूरु में नैशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी के परिसर में प्रवेश करेंगे तब आपका सामना बड़े काले बैनर से होगा जिस पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के साथ एकजुटता का संदेश लिखा गया है। जामिया और एएमयू परिसर में पुलिस की कार्रवाई के विरोध में देश के प्रमुख संस्थानों मसलन आईआईटी, आईआईएम और आईआईएससी में इस तरह के एकता वाले संदेश दिखना अब सामान्य है। छात्र और शिक्षकों ने निजी तौर पर जामिया और एएमयू के छात्रों का समर्थन किया है हालांकि इन प्रतिष्ठित संस्थानों ने पुलिस की कार्रवाई या नागरिकता संशोधन कानून पर अपनी तरफ से कोई आधिकारिक टिप्पणी जारी नहीं की है।

बुधवार को आईआईटी छात्र परिषद ने जामिया, एएमयू और दिल्ली विश्वविद्यालय के परिसरों में हाल में हुई पुलिस की कार्रवाई की निंदा करते हुए इन विश्वविद्यालयों के छात्रों के प्रति अपनी एकजुटता जाहिर की है। आईआईटी कानपुर के छात्रों के एक समूह ने हाथों में तख्तियां लेते हुए परिसर में ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। हालांकि संस्थान के शिक्षकों ने इस प्रदर्शन से खुद को अलग ही रखा।

आईआईटी कानपुर के उप निदेशक मनींद्र अग्रवाल ने बताया, 'छात्रों का प्रदर्शन पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ जामिया के छात्रों के साथ अपनी एकता दर्शाने के लिए था क्योंकि उनका मानना है कि जामिया के छात्रों के साथ गलत हुआ है। इसका नागरिकता संशोधन कानून से कोई लेना-देना नहीं है।' पिछले गुरुवार को संसद में विवादास्पद नागरिकता संशोधन विधेयक पारित कराया गया था जिसके मुताबिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक प्रताड़ना के शिकार गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है।

आईआईएम अहमदाबाद के फैकल्टी सदस्यों और छात्रों ने भी आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बंबई, आईआईएम बेंगलूर, आईआईएम इंदौर, आईआईएम कलकत्ता, एक्सएलआईआई जमशेदपुर और एफएमएस दिल्ली के छात्रों और फैकल्टी के साथ नए नागरिकता कानून के खिलाफ एक पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस पत्र में कहा गया, 'एक नागरिक और अकादमिक समुदाय के सदस्यों के तौर पर हम नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। यह कानून भेदभाव करने वाला और भारतीय संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करने वाला है।'